राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश

वर्ष 2011–12

बिहार सरकार

कृषि विभाग

बिहार सरकार, कृषि विभाग
(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ट संख्या
1	सामान्य अनुदेश	1–8
2	फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु अनुदेश	9–12
3	मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम हेतु अनुदेश	13–13
4	प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम हेतु अनुदेश	14–16
5	दलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु अनुदेश	17–18
6	उर्वरता प्रबंधन कार्यक्रम हेतु अनुदेश	19–22
7	कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम हेतु अनुदेश	23–26
8	फसल सुरक्षा प्रबंधन (IPM) कार्यक्रम हेतु अनुदेश	27–29
9	लोकल इनिसिएटिभ कार्यक्रम हेतु अनुदेश	29–29
10	परियोजना प्रबंधन दल के गठन हेतु अनुदेश	30–31
11	वित्तीय प्रबंधन हेतु अनुदेश	32–32
12	प्रचार–प्रसार हेतु कार्यान्वयन अनुदेश	33–33
परिशिष्ट–1 : फसलों के हानिकारक कीट एवं व्याधि के संक्रमण काल की सूची		34–37
परिशिष्ट–2 : परियोजना प्रबंधन दल के गठन हेतु विज्ञापन प्रारूप		38–38
परिशिष्ट–3 : अनुदानित दर पर उपादान हेतु सूचनाओं को संधारित करने का प्रारूप		39–39
परिशिष्ट–4 : अनुदानित दर पर उपादान विक्रेता के लिए कैश मेमो का प्रारूप		39–39
परिशिष्ट–5 : अनुदान दावा भुगतान हेतु प्रारूप		40–40
परिशिष्ट–6 : कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र		41–42
परिशिष्ट–7 : अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु स्वीकृति पत्र का प्रारूप		43–43
परिशिष्ट–8 : कृषि यंत्र के सत्यापन प्रतिवेदन का प्रपत्र		43–43
परिशिष्ट–9 : श्री विधि धान प्रत्यक्षण के संबंध में सूचना पत्रक का प्रारूप		44–44
परिशिष्ट–10: बीज मिनीकिट प्रत्यक्षण संबंधी विवरण हेतु विहित प्रपत्र		45–45
परिशिष्ट–11 : मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र–रा॰खा॰सु॰मि॰–चावल		46–46
परिशिष्ट–12 : मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र–रा॰खा॰सु॰मि॰–गेहूँ		47–47
परिशिष्ट–13 : मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र–रा॰खा॰सु॰मि॰–दलहन		48–48
परिशिष्ट–14 : बीज कम्पनी के लिये अनुदान दावा सत्यापन प्रपत्र–क		49–49
परिशिष्ट–15 : जिला कृषि पदाधिकारी के लिये बीज विक्री सत्यापन प्रपत्र–ख		49–49
परिशिष्ट–16 : उपयोगिता प्रमाण पत्र–केन्द्रांश		50–50
परिशिष्ट–17 : उपयोगिता प्रमाण पत्र–राज्यांश		51–51
परिशिष्ट–18 : लाभान्वित कृषकों की सूची संधारित करने हेतु विहित प्रपत्र (कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम को छोड़कर)		52–52
परिशिष्ट–19 : लाभान्वित कृषकों की सूची संधारित करने हेतु विहित प्रपत्र (कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम हेतु)		52–52
परिशिष्ट–20 : लाभान्वितों का वर्गीकरणवार प्रतिवेदन प्रारूप रा॰खा॰सु॰मि॰–चावल		53–53
परिशिष्ट–21 : लाभान्वितों का वर्गीकरणवार प्रतिवेदन प्रारूप रा॰खा॰सु॰मि॰–गेहूँ		54–54
परिशिष्ट–22 : लाभान्वितों का वर्गीकरणवार प्रतिवेदन प्रारूप रा॰खा॰सु॰मि॰–दलहन		55–55
परिशिष्ट–23 : फसल जाँच कटनी प्रतिवेदन प्रारूप		56–56
परिशिष्ट–24 : रा॰खा॰सु॰मि॰–चावल वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)		57–60
परिशिष्ट–25 : रा॰खा॰सु॰मि॰–गेहूँ वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)		61–63

परिशिष्ट–26 : रा॰खा॰सु॰मि॰–दलहन वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)	64–67

सामान्य अनुदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
अन्तर्गत
विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन
हेतु
कार्यानुदेश

परिशिष्ट

श्री नरेन्द्र सिंह,
कृषि मंत्री,
बिहार सरकार

कृषि विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–80001

संदेश

यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना बिहार में धान, गेहूँ एवं दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्ष 2007 से चलाया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी पहुँच विभिन्न वर्गों के किसानों तक बढ़ी है। अनुदानित दर पर मिलने वाले विभिन्न उपादानों यथा प्रमाणित बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूमि सुधारक यौगिक, जैव उर्वरक, पौधा संरक्षण रसायन, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र आदि के वितरण से विभिन्न वर्गों के कृषकों को तात्कालिक लाभ के साथ–साथ इनके उपयोग की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत कृषि तकनीक के हस्तांतरण, कृषि में संलग्न सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों की सहभागिता से अपेक्षित वातावरण बना है जिससे माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के कृषि विकास के सपनों तथा कृषि रोड़ मैप में लिये गये लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग द्वारा तैयार की गयी इस कार्यान्वयन अनुदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं महिलाओं के कल्याण हेतु समुचित राशि का निर्धारण एक सराहनीय कार्य है एवं मुझे विश्वास है कि कृषि विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी प्रतिपादित नियमों का अनुपालन कर इस मिशन को धरातल पर उतारने का कार्य करेगें एवं सरकार के निहित उद्देश्य को शत्–प्रतिशत सफलीभूत करेंगे।

शुभ कामनाओं के साथ

(नरेन्द्र सिंह)

अरविन्दर सिंह, (भा.व.से.)
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
बिहार, पटना

बिहार सरकार

कृषि विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800015
दुरभाष : 0612–2223890 (का.)
फैक्स : 0612–2204245
ई–मेल : diragri-bih@nic.in

आमुख

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शत्–प्रतिशत केन्द्र सम्पोषित योजना है। योजना का प्रारंभ बिहार में रब्बी 2007–08 में हुआ है। इस योजना के तहत् चावल, गेहूँ एवं दलहनी फसलों में 4% वृद्धि लाकर खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भरता को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में इस योजना अन्तर्गत राज्य के 18 जिले–चावल, 25 जिले–गेहूँ तथा 13 जिले–दलहन में चयनित हैं। आइसोपोम योजना अन्तर्गत आच्छादित शेष 25 जिलों को वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत समाहित कर इस योजना का दायरे में वृद्धि की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत फसल प्रत्यक्षण, प्रमाणित बीज वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण, जैव उर्वरक वितरण, जिप्सम/पॉयराइट/फास्फोजिप्सम/सल्फर वितरण, फसल सुरक्षा हेतु जैव/रासायनिक कीटनाशी वितरण, कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम अनुदान पर आधारित है जिससे इन उपादानों के उपयोग को बढ़ावा देकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लायी जा रही है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायतीराज संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करना है तथा समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं को प्राथमिकता देकर विकासात्मक कार्य में इनकी अपेक्षित सहभागिता सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता आधारित कुछ कार्यक्रमों यथा बीज अनुदान, सूक्ष्म पोषक तत्व अनुदान, जैव उर्वरक पर अनुदान तथा कृषि यांत्रिकरण में सामानुपातिक रूप से अतिरिक्त अनुदान सुलभ कराया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में विहित मानदड़ों के अनुरूप तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद के साथ विश्वास भी है कि वर्ष 2011–12 के कार्यन्वयन अनुदेश में निहित निदेशों का अनुपालन जिला/प्रखंड/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं तथा अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। योजना को सफल बनाने में सभी कार्यान्वयन एजेन्सी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे एवं विश्वास है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का समुचित प्रचार–प्रसार कर मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे।

(अरविन्दर सिंह)
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

अशोक कुमार सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार

कृषि विभाग
बिहार सरकार
विकास भवन, पटना–800015
दुरभाष : 0612–2224365 (का.)
0612–2215720 (का.)

संदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भारत सरकार द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय विकास परिषद् की 53वीं बैठक में दिनांक 29 मई, 2007 को देश में खाद्‍य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूँ एवं दलहन के उत्पादन को क्रमशः 10 लाख टन, 8 लाख टन एवं 2 लाख टन तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया। भारत सरकार द्वारा लिये गये आलोक में राज्य सरकार द्वारा चावल, गेहूँ एवं दलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये मिशन के कार्यक्रमों को अच्छादित जिलों में लागू कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी इस तरह के कार्यक्रम लिये गये है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रमों का विस्तारीकरण कर नूतन प्रयोग किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में हरी खाद के रूप में ढ़ैचा का 4 लाख हेक्टेयर में उपयोग, श्री विधि से धान की खेती के प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत 3.5 लाख हेक्टेयर का अच्छादन एवं संकर धान की खेती के लिये 4 लाख हेक्टेयर का अच्छादन मुख्य रूप से लिये गये हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विस्तृत रणनीति तैयार की गयी है जिसमें विभाग के उच्च पदाधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय स्तर के किसान सलाहकार तक की सहभागिता सुनिश्चित की गयी है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अलग से कार्यान्वयन अनुदेश पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के साथ–साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मैक्रोमोड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये हरित क्रांति की योजना का समन्वय किया गया है। इस तरह योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिये पूर्ण पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कृषि विकास महोत्सव, कृषि यांत्रिकरण मेला, उद्यान महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण आयोजन प्रखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित किया गया है जिसमें कृषकों की सहभागिता के साथ–साथ गणमान्य जनप्रतिनिधियों को भी मंच पर लाने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान की राशि स्वीकृत की गयी है। इससे इन उपादानों के उपयोग करने में किसानों ने अधिक अभिरूचि दिखायी है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये निधि का तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि का सभी कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा समुचित उपयोग किया जायेगा तथा राज्य के उत्पादन एवं उत्पादकता में दोगुनी वृद्धि निश्चित रूप से होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग द्वारा तैयार की गयी इस कार्यान्वयन अनुदेश में दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा दृढ़ता से अनुपालन किया जाय तथा परिशिष्ट में दिये गये उपयोगी प्रपत्रों के अनुसार सूचनाओं का संधारण तथा प्रगति प्रतिवेदन सह समय प्रेषित किया जाय।

(अशोक कुमार सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार

अध्याय–1

1.0 परिचय

भारत में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 29 मई 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की 53वीं0 बैठक में 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2011–12) के अंत तक चावल, गेहूँ तथा दलहन के उत्पादन क्रमशः 10 लाख टन, 8 लाख टन एवं 2 लाख टन तक बढ़ाने का संकल्प लिया गया। उक्त संकल्प के आलोक में भारत सरकार द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित योजना **''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन''** वर्ष 2007–08 से आरंभ किया गया।

1.1 इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित तीन घटक समावेशित हैं।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – गेहूँ
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन

1.2 बिहार राज्य में यह योजना वर्ष 2007–08 में रब्बी से आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा उत्पादन में 4 प्रतिशत वार्षिक दर से अपेक्षित वृद्धि लाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य के 18 जिले चावल, 25 जिले गेहूँ एवं 13 जिले दलहन के लिए चयनित किया गया है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से आइसोपोम योजनान्तर्गत दलहन से अच्छादित अन्य 25 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।

1.3 मिशन के उद्देश्य

1.3.1 राज्य में चिन्हित जिलों के अंतर्गत चावल, गेहूँ एवं दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि योग्य भूमि की बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में नियमित रूप से वृद्धि लाना।

1.3.2 प्रत्येक प्रक्षेत्र स्तर पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादकता पुनर्जीवित करना।

1.3.3 रोजगार के अवसर का सृजन करना।

1.3.4 प्रक्षेत्र स्तर पर कृषकों के आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए उनके बीच आत्म विश्वास पैदा करना।

1.4 मिशन की विशेषताएँ

1.4.1 विभिन्न स्तर पर सभी स्टेक होल्डर की सहभागिता के आधार पर मिशन मोड को लागू करना।

1.4.2 विकास एवं प्रसार के उन्नत प्रोद्योगिकी के आधार पर समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों, मृदा सुधारक, जैव उर्वरक, समेकित कीट प्रबंधन, कीटनाशी रसायन का समुचित व्यवहार एवं अन्य संरक्षण तकनीक से किसानों की दक्षता में वृद्धि लाना।

1.4.3 विभिन्न घटकों के लिए कार्य योजना के अनुसार जिलावार लक्ष्य को निर्धारित करना तथा आवश्यकतानुसार क्षेत्र विशेष के लिये लक्ष्य का पुनःनिर्धारण करना।

1.4.4 राशि के प्रवाह की बारीकी से अनुश्रवण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभान्वितों को समय पर लाभ मिल सके।

1.4.5 सतत् अनुश्रवण के फलस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसी के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा आवश्यकतानुसार सहयोग देना।

1.4.6 योजना के मूल्यांकन हेतु विहित प्रपत्र तैयार करना।

1.5 मिशन का स्वरूप

1.5.1 **राष्ट्रीय स्तर :** माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक सामान्य परिषद् का गठन हुआ है। इस परिषद् के द्वारा नीति निर्धारण करने, समुचित दिशा–निर्देश देने तथा समेकित रूप से इस योजना के प्रगति की समीक्षा किया जाना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन करने तथा संसाधन के आधार पर राज्य एवं जिलों को राशि का निर्धारण आदि का अधिकार सामान्य परिषद् को प्राप्त है। इस परिषद् की बैठक का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाना है।

1.5.2 सचिव, कृषि एवं सहकारिता, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (NSFMEC)"** का गठन हुआ है। मिशन के संपूर्ण क्रिया–कलाप को देखने तथा राज्यों के कार्य–योजना को पारित करने का अधिकार समिति को प्राप्त है। इस समिति को प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक का आयोजन कर योजना की समीक्षा की जानी है। कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग का गठन किया गया है।

1.5.3 **राज्य स्तर :** राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक पी0पी0एम0–5100 (सचि0) दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 के द्वारा इस मिशन के अंतर्गत आधुनिकतम कृषि तकनीकी का प्रसार, उन्नत किस्म के बीज, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, सूक्ष्म पोषक तत्वों का व्यवहार, भूमि सुधारक रसायन, समेकित फसल प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण संबंधी तकनीक एवं किसानों के क्षमता संबर्द्धन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर **"राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (SFSMEC)"** का गठन किया गया है। इस कार्यकारिणी समिति का स्वरूप निम्नांकित है :

(1) विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(2) प्रधान सचिव, कृषि	–	सदस्य
(3) प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
(4) प्रधान सचिव, जल संसाधन	–	सदस्य
(5) प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन	–	सदस्य
(6) सचिव, उर्जा	–	सदस्य
(7) कुलपति, रा0कृ0वि0वि0, पूसा	–	सदस्य
(8) मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड	–	सदस्य
(9) निदेशक, भा0कृ0अनु0परिषद्, पूर्वी क्षेत्र पटना	–	सदस्य
(10) निदेशक, चावल विकास निदेशालय	–	सदस्य
(11) निदेशक, क्षेत्रीय गेहूँ अनु0 संस्थान (IARI), पूसा	–	सदस्य
(12) संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पटना	–	सदस्य
(13) राज्य मिशन निदेशक	–	सदस्य सचिव

क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य में 20 प्रतिशत तक परिवर्तन हेतु **"राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति"** प्राधिकृत है।राज्य में मिशन गतिविधियों का संचालन, विभिन्न विभागों में समन्वय एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन का दायित्व इस समिति को है।

1.5.4 **जिला स्तर** पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (DFSMEC)"** का गठन निम्न प्रकार से किया गया है।

1. जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन / जल संसाधन	–	सदस्य
3. विद्युत कार्यपालक अभियंता	–	सदस्य
4. जिला सहकारिता पदाधिकारी	–	सदस्य
5. नामित प्रगतिशील कृषक (किसान भूषण से सम्मानित कृषक)	–	सदस्य
6. कृषकों के SHG के प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत)	–	सदस्य
7. NGO के प्रतिनिधि (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत)	–	सदस्य
8. जिला में अवस्थित KVK/RAU के प्रतिनिधि	–	सदस्य
9. परियोजना निदेशक, आत्मा	–	सदस्य
10. जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

1.5.5 बीज समिति : राज्य में उपयोग के लिये विभिन्न फसलों के नवीनतम्/अधिक उपजशील प्रभेदों के चयन हेतु कृषि विभाग के आदेश ज्ञापांक 1589 दिनांक 01.04.2010 के द्वारा निम्नांकित रूप से समिति का गठन किया गया है।

1.	कृषि निदेशक	– अध्यक्ष
2.	निदेशक, उद्यान	– सदस्य
3.	निदेशक, अनुसंधान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	– सदस्य
4.	निदेशक, बीज प्रमाणन एजेन्सी पटना	– सदस्य
5.	निदेशक, बीज एवं फार्म राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	– सदस्य
6.	क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना	– सदस्य
7.	उप निदेशक, बीज, बिहार, पटना	– सदस्य
8.	उप निदेशक, प्रक्षेत्र	– सदस्य
9.	क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम	– सदस्य
10.	उत्पादन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम	– सचिव
11.	प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना	– सदस्य

प्रभेद चयन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक कर उस वित्तीय वर्ष के लिए प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन एवं बिहार राज्य बीज निगम के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रभेदों की अनुशंसा करेगी। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिलावार प्रभेदों का चयन भी इसी समिति के द्वारा किया जायेगा।

1.6 कार्यान्वयन एजेंसी

भारत सरकार के मार्गदर्शिका एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन **राज्य स्तर पर बामेति** के माध्यम से तथा जिला स्तर पर **आत्मा** के माध्यम से किया जाना है। राज्य स्तर पर कार्यक्रमों का क्रिर्यान्वयन **मिशन निदेशक** तथा जिला स्तर पर **जिला कृषि पदाधिकारी** के सहयोग से किया जाना है।

1.6.1 राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

राज्य स्तर पर मिशन निदेशक के अधीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग में कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार के रूप में एक प्रभारी पदाधिकारी, एक सहायक, एक रोकड़पाल–सह–भंडारपाल तथा एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी वर्त्तमान में कार्यरत हैं। कोषांग में नियोजित परियोजना प्रबंधन दल के परामर्शी एवं तकनीकी सहायकों द्वारा सहयोग दिया जाता है। इस कोषांग को निम्नांकित कार्य एवं दायित्व निर्धारित हैं।

1. मिशन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप कृषि विश्वविद्यालय/आई0सी0ए0आर0 संस्थानों के समन्वय से वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन के लिये तैयार की गयी कार्य योजना, क्रियान्वयन के फलस्वरूप हुयी उपलब्धि तथा अन्यान्य विषयों के संदर्भ में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से समय–समय पर अनुमोदन प्राप्त करना।
3. बेस लाइन सर्वे/फीजिबिलिटी अध्ययन आयोजित/प्रत्यायोजित करना।
4. मिशन कार्यक्रमों का कृषक समिति, गैर संस्थाओं, उत्पादक समूहों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य संस्थानों तथा विभाग के माध्यम से कार्यान्वयन करना।
5. कृषकों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए कृषि विश्वविद्यालय/आईसी0ए0आर0 संस्थानों के सहयोग से कर्मशाला, सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से स्वीकृत राज्य कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करना।

1.6.2 जिला कार्यान्वयन एजेंसी

जिला स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्यान्वयन आत्मा के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। जिला कार्यान्वयन एजेंसी को निम्नांकित कार्य एवं दायित्व निर्धारित हैं।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन के लिये जिला हेतु आवंटित लक्ष्य के अनुसार प्रखंडवार/पंचायतवार कार्य योजना तैयार करना तथा क्रियान्वयन के फलस्वरूप हुयी उपलब्धि तथा अन्यान्य विषयों के संदर्भ में समय–समय पर जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करना।
2. जिला के लिए तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार इसका क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना।
3. बामेति से उपलब्ध करायी गयी राशि को प्राप्त करना तथा उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निर्धारित खाते में जमा करना तथा क्रियान्वयन के फलस्वरूप नियमानुसार समय पर राशि के भुगतान की कार्रवाई करना।
4. योजना के प्रगति की प्रतिमाह समीक्षा करना तथा प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग को उपलब्ध कराना।
5. जिलों में अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र से सहयोग/तकनीकी सहयोग प्राप्त करना।
6. योजना क्रियान्वयन हेतु लाभुकों के चयन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित करना।
7. प्रत्येक तिमाही में योजना की प्रगति, मार्गदर्शन तथा अन्यान्य निर्णय लेने हेतु जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित कराना तथा लिये गये निर्णय की सूचना मिशन निदेशक को ससमय उपलब्ध कराना।

1.7 परियोजना प्रबंधन दल का गठन

1.7.1 राज्य एवं जिला स्तर

भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर मिशन निदेशक के सहयोग हेतु तथा जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन एजेन्सी के सहयोग हेतु परियोजना प्रबंधन दल का गठन किया जाना है। परियोजना प्रबंधन दल में परामर्शी एवं तकनीकी सहायकों को अनुमान्य मानदेय पर अनुबंधित किया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमान्य संख्या में ही अनुबंधित किया जाना है। परियोजना प्रबंधन दल के परामर्शी एवं तकनीकी सहायकों को निम्नांकित कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित हैं।

1. राज्य/जिला में संगठनात्मक एवं तकनीकी विषयों पर सलाह देना।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न घटकों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में सहायता करना।
3. कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समय गहन समीक्षा तथा क्षेत्रीय भ्रमण करना एवं क्रियान्वयन एजेन्सी को ससमय सुझाव देना जिससे क्रियान्वयन में आ रही बाधा को दूर किया जा सके।
4. राज्य/जिलों के कृषकों के क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम तथा फसल जाँच कटनी को आयोजित करना एवं प्राप्त आंकड़ों को अभिलेखित करना।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न घटकों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रभाव आँकडों के आधार पर विश्लेषित करना।
6. चिन्हित जिलों में कार्ययोजना के मूल्यांकन कर सफलता की कहानी तैयार करना तथा इसे अन्य जिलों एवं राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध तथा प्रचारित कराना।
7. मिशन के उद्देश्यों को प्रिंट/रेडियो/टेलिविजन के माध्यम से प्रचार हेतु प्रसार सामग्री तैयार करना।
8. मिशन के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु विभिन्न कृषि संस्थानों से समन्वय स्थापित कर कार्यान्वयन एजेंसी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना।
9. राज्य स्तर पर मिशन निदेशक तथा जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों तथा अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

1.8 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कार्य क्षेत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूँ एवं दलहन के अंतर्गत बिहार राज्य में निम्नांकित जिलों को चिन्हित किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– चावल					
क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम
1	अररिया	7	कटिहार	13	सहरसा
2	बांका	8	किशनगंज	14	समस्तीपुर
3	पूर्वी चंपारण	9	मधुबनी	15	सीतामढ़ी
4	प0 चंपारण	10	मधेपुरा	16	सीवान
5	दरभंगा	11	मुजफ्फरपुर	17	सुपौल
6	गया	12	नालंदा	18	जमुई

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– गेहूँ					
क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम
1	अररिया	10	कटिहार	19	नवादा
2	बांका	11	किशनगंज	20	समस्तीपुर
3	पूर्वी चंपारण	12	मधुबनी	21	सीतामढ़ी
4	प0 चंपारण	13	मधेपुरा	22	शेखपुरा
5	दरभंगा	14	मुजफ्फरपुर	23	सुपौल
6	मुंगेर	15	नालंदा	24	जमुई
7	भागलपुर	16	रोहतास	25	पूर्णिया
8	कैमूर	17	सारण		
9	खगड़िया	18	वैशाली		

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– दलहन					
क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम
1	अररिया	6	मधेपुरा	11	सुपौल
2	औरंगाबाद	7	मुजफ्फरपुर	12	कैमूर
3	भोजपुर	8	नलंदा	13	पूर्णिया
4	पटना	9	सहरसा		
5	मधुबनी	10	समस्तीपुर		
अन्य सम्मिलित जिले :					
क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम	क्र0सं0	जिला का नाम
1	बक्सर	10	पूर्वी चम्पारण	19	लखीसराय
2	रोहतास	11	पश्चिमी चम्पारण	20	जमुई
3	गया	12	सीतामढ़ी	21	खगड़िया
4	जहानाबाद	13	शिवहर	22	भागलपुर
5	अरवल	14	वैशाली	23	बांका
6	नवादा	15	दरभंगा	24	किशनगंज
7	सारण	16	बेगूसराय	25	कटिहार
8	सीवान	17	मुंगेर		
9	गोपालगंज	18	शेखपुरा		

1.9 राशि का प्रवाह

सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा पूर्व से निबंधित राज्य स्तर पर बामेति (Bihar Agricultural Management Extension & Training Institute) तथा जिला स्तर पर आत्मा (Agriculture Technology Management Agency) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत राशि के प्राप्त करने तथा इसके प्रवाह हेतु नामित किया गया है। कृषि विभाग के संकल्प ज्ञापांक पी0पी0एम0–5100 (सचि0) दिनांक 12 अक्टूबर, 2007 के द्वारा राशि के प्रवाह हेतु निम्नांकित निदेश निर्गत है।

''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (NSFMEC) द्वारा तय किये गये लेखा संधारण नियमों के अन्तर्गत इस योजना के लिए राज्य स्तर पर बामेति एवं जिला स्तर पर आत्मा द्वारा अलग–अलग लेखा संधारण किये जायेंगें। प्रत्येक वर्ष लेखा का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। बामेति द्वारा "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" के लिए अलग से बैंक एकाउन्ट खोला जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन को इस एकाउन्ट में रखा जायेगा। मिशन निदेशक एवं प्रधान सचिव या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा यह एकाउन्ट संचालित किया जायेगा। जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए आत्मा द्वारा अलग से बैंक एकाउंट खोला जाएगा। जिले को प्राप्त आवंटन इस एकाउंट में रखा जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा या जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह एकाउंट संचालित किया जायेगा।''

भारत सरकार से प्राप्त राशि का उपावंटन निदेशक, बामेति के द्वारा संबंधित जिलों के परियोजना निदेशक, आत्मा को इलेक्ट्रोनिक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। राज्य एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रयोजनार्थ खोले गये मात्र राज्यकृत बैंक के खाता में प्राप्त निधि संरक्षित रहेगा। वित्तीय वर्ष में कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वयन के फलस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्गत समुचित आदेश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा के संयुक्त हस्ताक्षर से रेखांकित चेक के माध्यम से राशि का भुगतान ससमय किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुमान्य अनुदान सहायता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों में अलग से अनुदान सहायता दिया जाय जिससे कृषकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके तथा विभिन्न उपादानों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत उपलब्ध राशि के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत पूरक राशि का संधारण बैंक में अलग खाते में किया जाना है। राज्यांश के व्यय का ब्यौरा अलग रोकड़पंजी में संधारित किया जायेगा तथा इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यान्वयन एजेन्सीज द्वारा अलग से तैयार कर कोषांग को समर्पित किया जाना है। राज्यांश के व्यय की प्रक्रिया इस योजना के लिये विहित नियम के अधीन ही की जानी है।

1.10 वित्तीय नियमों का अनुपालन

1. कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा सीधे क्रय एवं भुगतान के मामले में **"बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली–2005"** के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदानित दर पर उपादान वितरण के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विहित मानदंड एवं दिये गये निदेश के अनुसार समुचित आदेश निर्गत कर भुगतान की कार्रवाई कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
3. अनुदान भुगतान संबंधी अभिलेख एवं अभिश्रव का सत्यापन तथा संधारण जिला कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में की गयी कार्रवाई की सूचना समय–समय पर जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. अनुदानित दर पर उपादान वितरण के मामले में कृषकों से सीधे प्राप्त अभिश्रव की स्थिति में भौतिक सत्यापन के उपरांत लाभार्थी को शत् प्रतिशत राशि का भुगतान एक सप्ताह में किया जायेगा।
5. अनुदानित दर पर उपादान के वितरण हेतु कैशमेमो तथा दावा भुगतान हेतु विपत्र का प्रारूप परिशिष्ट–4 एवं 5 के अनुसार होगा।

1.11 लाभार्थी कृषक का चयन

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राज्य के 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा राशि आरक्षित है।
2. इसी प्रकार राज्य के सीमांत/लघु एवं महिला कृषकों के लिए कम से कम 33 प्रतिशत राशि निर्धारित है।
3. आरक्षित वर्ग के कृषकों को कार्य योजना की कर्णाकिंत राशि का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना है।
4. कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थी के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीमांत/लघु एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता देते हुये उनके लिये निर्धारित राशि का उपयोग किया जाना है।
5. कृषि विभाग के पत्रांक पी0पी0एम0–151–2007–1521 दिनांक 16 मार्च, 2010 के आलोक में अब ग्राम पंचायत के अन्तर्गत अच्छादित कृषकों के अतिरिक्त जिला के नगर निकाय क्षेत्र/नगर पंचायत के किसानों को भी लाभान्वित किया जाना है।
6. प्रमाणित बीज, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव उर्वरक/जिप्सम, पॉयराइट/फास्फोजिप्सम, सल्फर के व्यवहार/पौधा संरक्षण के लिये विभिन्न उपादानों पर प्राप्त होने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा 5 हे0 तक के लिए अनुमान्य होगा।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों में सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम/पॉयराइट/फास्फोजिप्सम/सल्फर के व्यवहार हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा तथा (AISLUS) के सर्वेक्षण एवं मिट्टी परीक्षण विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकता तय किया जाना है।
8. प्रत्यक्षण कार्यक्रम, कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र के वितरण हेतु एक कृषक का चयन पूरे पाँच वर्ष में मात्र एक बार किया जाना है।
9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल के अंतर्गत एस0आर0आई0 तकनीक बेहतर जल उपयोग के लिए मात्र सिंचित एवं ऊँची तथा मध्यम भूमि के लिए अधिक उपयुक्त है। अतः इस कार्यक्रम के लिए केवल उन्हीं क्षेत्रों तथा कृषकों का चयन अपेक्षित है।
10. फसलों में कीट–व्याधि का प्रकोप क्षेत्र विशेष, फसल विशेष, फसल की अवस्था पर निर्भर एवं परिवर्तनीय होता है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत फसल विशेष पर लगने वाले विशिष्ठ कीट व्याधि से बचाव हेतु जैव कीटनाशी, कीटनाशी अथवा आई0पी0एम0 का निर्धारण कृषि विज्ञान केन्द्र/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/आई0सी0ए0आर0 संस्थान के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से संस्तुति के उपरांत ही जिला कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा कराया जाना है एवं तद्नुसार अनुदानित दर पर कृषकों को उक्त उपादानों को सुलभ कराया जाना है।
11. कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को रूपये 10,000.00 (दस हजार) से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों को कृषक के पहचान–पत्र के आधार पर वितरित किया जाना है। रूपये 10,000.00 (दस हजार) से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों (पम्पसेट सहित) के वितरण के लिये कृषकों से पहले आवेदन प्राप्त किया जाना है। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के उपरांत पंजीकरण किया जाना है एवं तदोपरांत जिला कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा यंत्रों के क्रय हेतु स्वीकृति पत्र कृषकों को उपलब्ध कराया जाना है। स्वीकृति पत्र के आलोक में कृषक अपनी इच्छा के अनुसार यंत्रों का क्रय कृषि यांत्रिकरण मेले में करेगें। कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि का भुगतान यांत्रिकरण मेला में ही किया जाना है।
12. लाभार्थी कृषकों की सूची प्रत्येक कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा फसलवार/कार्यक्रमवार विहित प्रपत्र परिशिष्ट–18 एवं 19 में संधारित की जानी है तथा लाभान्वित कृषकों का वर्गीकरणवार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि विहित प्रपत्र परिशिष्ट–20, 21, 22 में मिशन निदेशक को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

1.12 पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये लाभार्थी कृषकों का चयन क्षेत्रीय कर्मियों (प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार) के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाना है।

1.13 भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

जिला कार्यान्वन एजेन्सी द्वारा जिला हेतु निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रखंडवार/पंचायतवार/नगर निकायवार विहित मानदंड के आधार पर विखण्डित किया जाना है। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सीमांत/लघु एवं महिला कृषकों के लिये भौतिक एवं वित्तीय सीमा का निर्धारण करते हुये घटकवार एवं कार्यक्रमवार योजना का क्रियान्वयन जिला कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा किया जाना है।

1.14 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु समय सीमा का निर्धारण

जिला कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाना है तथा अनुदानित दर पर उपादान वितरण के मामले में एक से अधिक प्रतिष्ठान के होने की स्थिति में क्षेत्र का परिसीमन एवं समुचित आदेश निर्गत किया जाना है जिससे जिला के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही योजना का क्रियान्वयन संभव हो सके।

1.15 कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन

जिलों द्वारा विहित प्रपत्र में बेस लाईन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कर लिया गया है। वर्ष 2006–07 के आँकड़े को आधार मानते हुये प्रत्येक वर्ष में हुयी भौतिक उपलब्धि का कार्यक्रमवार विश्लेषण किया जाना है तथा क्रियान्वित कार्यक्रम के प्रभाव को मूल्यांकन कर अभिलेखित किया जाना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के द्वारा तैयार एवं जिलों को उपलब्ध करायी गयी पुस्तिका में विहित मानदंडों एवं प्रपत्र में मूल्यांकन कार्य किया जाना है।

1.16 अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन का प्रेषण

1.16.1 राज्य एवं जिला प्रबंधन दल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सहयोग लिया जाना है तथा इनको क्षेत्र आवंटित कर कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा करायी जानी है।

1.16.2 भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के लिये विहित प्रपत्र में सूचनाओं को अंकित किया जाना है तथा इसे मिशन निदेशक को प्रत्येक माह विहित प्रपत्र परिशिष्ट–11, 12, 13 में उपलब्ध कराया जाना है।

1.16.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर बेबसाइट **www.nfsm.gov.in** विकसित है। इस बेबसाइट पर **MIS Link** के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिवेदन भेजा जाना है। ऑनलाइन प्रतिवेदन के लिये प्रत्येक स्तर (राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत) के लिये विहित प्रपत्र निर्धारित है जिसमें जिला/राज्य स्तर पर सूचनाओं की प्रविष्टी ससमय किया जाना है।

1.16.4 मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन एवं प्रेषण परियोजना प्रबंधन दल के माध्यम से प्रत्येक कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जाना है। राज्य स्तर पर विभागी बेबसाइट **www.krishi.bih.nic.in** पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र उपलब्ध है जिसमें सूचनाओं की प्रविष्टी प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक की जानी है।

1.17 प्रचार–प्रसार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा अलग राशि कर्णांकित की जाती है। इस राशि से जिलों में डांस, ड्रामा, समूह गान तथा लिफलेट, पम्फलेट, होर्डिंग, बस पैनल आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना है। राज्य स्तर पर रेडियों, दूरदर्शन पर स्पॉटस् के माध्यम से तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना है।

1.18 कार्य योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन वर्ष 2011–12 अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर जिलावार/कार्यक्रमवार लक्ष्य आवंटित किया गया है जो क्रमशः परिशिष्ट 24, 25 एवं 26 पर उपलब्ध है। जिला कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अधीन ही कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।

1.19 उपयोगिता प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना के लिये आवंटित लक्ष्य के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2012 को वित्तीय उपलब्धि विहित प्रपत्र–GFR-19A परिशिष्ट–16 एवं 17 में प्रत्येक कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा मिशन निदेशक को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं। कार्ययोजना में स्वीकृत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि के अधीन अलग–अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

अध्याय–2

2.0 फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम

कृषि प्रोद्यौगिकी हस्तांतरण का सबसे सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम फसल प्रत्यक्षण है जिसके द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों के सहयोग से किसान अपने खेत में कृषि तकनीक का स्वयं अनुप्रयोग करते हैं। कम समय में तकनीकी हस्तांतरण का सबसे उत्तम विधि होने के कारण यह कृषकों के बीच अधिक लोकप्रिय है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल एवं गेहूँ का फसल प्रत्यक्षण एस0आर0आई0 विधि से क्रियान्वित किया जाना है। इसके क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं।

2.1 लाभार्थी कृषक की पात्रता :

1. इच्छुक कृषक अथवा कृषकों का समूह जिनके पास कम से कम 25 डिसिमिल भूमि एवं नजदीक में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो।
2. चयनित स्थल रास्ते के नजदीक हो तथा उस रास्ते से ग्रामीणों का आवागमन होता हो।
3. प्रत्यक्षण के लिए दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त अन्य आवश्यक उपादानों को कृषक अथवा कृषकों का समूह स्वयं प्रयोग करने हेतु सक्षम हो तथा तकनीकी परामर्श पर उसका व्यवहार करने हेतु इच्छुक हों।
4. खेत की तैयारी, बुआई एवं श्रम आदि पर होने वाला व्यय कृषक स्वयं वहन करने हेतु तैयार हों।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु विगत वर्षों में चयनित कृषक लाभ प्राप्त नहीं लिये हों।
6. प्रत्यक्षण कार्यक्रम के लिये कृषि विभाग से भिन्न अन्य कार्यान्वयन एजेन्सी यथा जीविका, महिला विकास निगम एवं कृषि विज्ञान केन्द्र अपने मानदंड के अनुसार कृषकों का चयन कर सकता है।

2.2 लाभार्थी कृषक का चयन

1. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्रखंडवार/ग्राम–पंचायत तथा नगर–पंचायतवार लक्ष्य का विखंडन किया जाना है तथा लाभान्वितों के चयन हेतु इसकी सूचना संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है।
2. जिन जिलों में जीविका एवं महिला विकास निगम की उपस्थिति है। उन्हें विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का उनके कार्यक्षेत्र के प्रखंडों में लक्ष्य दिया जाना है। शेष लक्ष्य जिला कृषि पदाधिकारी तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।
3. इस कार्यक्रम के अंतर्गत **17 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** के कल्याण हेतु राशि आरक्षित है। अतः जिला कृषि पदाधिकारी जनसंख्या के आधार पर राशि का आरक्षण कर इस वर्ग के कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना है।
4. लाभुक कृषकों में **लघु/सीमांत/महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 33 प्रतिशत** की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है।
5. लाभुक कृषकों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधि का यथा संभव सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।
6. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा विषय वस्तु विशेषज्ञ/परामर्शी/तकनीकी सलाहकार/किसान सलाहकार के माध्यम से कृषकों तथा उपयुक्त प्रत्यक्षण स्थल का ससमय चयन किया जाना है तथा सूची जिला कृषि पदाधिकारी को समय पर उपलब्ध किया जाना है।

2.3 प्रत्यक्षण के आयोजन की प्रक्रिया

1. चावल एवं गेहूँ के श्री विधि प्रत्यक्षण के लिये निर्धारित मॉडल के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्यक्षण कार्यक्रम कराया जाना है। श्री विधि से धान की खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम वर्ष 2011 में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
2. प्रत्यक्षण मॉडल में निहित उपादान किट जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि विकास उत्सव/शिविर में चयनित कृषकों को उपलब्ध कराया जाना है।

3. किसी अन्य सरकारी संस्था यथा जीविका, महिला उद्योग विकास निगम के माध्यम से प्रत्यक्षण कराये जाने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना है तथा अलग से दिये गये निदेश का दृढ़ता से अनुपालन किया जाना है।
4. प्रत्यक्षण किट के वितरण के अवसर पर प्रत्यक्षण के महत्व एवं उपादानों के प्रयोग विधि के विषय में कृषकों को जानकारी दिया जाना है।
5. गैर प्रत्यक्षण प्लॉट चेक प्लॉट के रूप में चिन्हित कर स्थानीय तकनीक के अनुसार कृषि कार्य संपन्न किया जाना है जिससे तकनीक के प्रभाव का अंतर स्पष्ट किया जा सके।
6. प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल पर एक–एक फलैक्सी बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर लाभार्थी कृषक का नाम, ग्राम, पंचायत, प्रखंड तथा तकनीकी अनुप्रयोग के नाम सहित फसल प्रभेद, प्रयुक्त उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधा संरक्षण रसायन की मात्रा एवं बुआई/रोपनी की तिथि आदि का विवरण मुद्रित होना अनिवार्य है।
7. निकटवर्ती कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों/विभाग में कार्यरत कृषि पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधन दल के परामर्शी एवं तकनीकी सहायकों की देखरेख में प्रत्यक्षण का आयोजन किया जाना है।
8. प्रत्यक्षण के महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के समय किसान सलाहकार/जनसेवक/विषय वस्तु विशेषज्ञ/ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/परामर्शी एवं तकनीकी सहायक तथा अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
9. प्रत्यक्षण हेतु चयनित कृषक को तकनीकी सलाह तथा प्रत्यक्षण स्थल का निरीक्षण समय–समय पर किया जाना अनिवार्य है।
10. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी अपने प्रखण्ड में लक्ष्य के 50 प्रतिशत, जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला में लक्ष्य के न्यूनतम 10 प्रतिशत एवं संयुक्त कृषि निदेशक प्रमंडलीय लक्ष्य के 5 प्रतिशत प्रत्यक्षण का पर्यवेक्षण करेंगे।
11. जिला कृषि पदाधिकारी इसके लिए तिथिवार रूट चार्ट तैयार कर प्रत्यक्षण मद में उपलब्ध भ्रमण हेतु राशि से वाहन की सुविधा उपलब्ध करावेंगें तथा अन्यान्य मद से प्रत्यक्षण स्थलों का विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करावेंगे।
12. फसल के परिपक्व होने पर विभागीय निदेश के अनुसार कृषक दिवस का आयोजन किया जाना है जिससे प्रत्यक्षण का प्रभाव, फसल जाँच कटनी तथा प्रचार–प्रसार संभव हो सके।
13. पूर्व में किये गये विडियोग्राफी तथा कृषक दिवस के आधार पर ''सफलता की कहानी'' जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तैयार करायी जायेगी एवं इसके हार्ड एवं साफ्ट कॉपी मिशन निदेशक को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

2.4 प्रभेद की आयु सीमा

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रभेद की आयुसीमा 10 वर्ष से अधिक की उपयोग की अनुमान्यता दी गई है। इस प्रकार श्री विधि से फसल प्रत्यक्षण हेतु क्षेत्र विशेष के लिये उपयुक्त प्रभेदों का चयन किया जा सकता है।

2.4.1 चावल प्रत्यक्षण के लिए अनुसंशित प्रभेद : स्वर्णा सब–1/सी0एस0आर0–36/सहभागी/ पी0आर0–116,118/एम0टी0यू0–1031/एम0टी0यू0–1032/नवीन (IET14461)/पूसा सुगन्ध–4/ पूसा सुगन्ध–5 /राजेन्द्र मसूरी–1/ राजेन्द्र सुवाषिणी / राजेन्द्र कस्तूरी/ राजेन्द्र स्वेता आदि।

2.4.2 गेहूँ प्रत्यक्षण के लिए अनुसंशित प्रभेद : डब्लू0आर0–544, यू0पी0–2554, सी0बी0डब्लू0–38, राज–4120, यू0पी0–2665, एच0डी0–2824, के0–307, एन0 डब्लू– 2036, के0–9423, पी0बी0डब्लू0–502 आदि।

2.7 प्रत्यक्षण में प्रयुक्त होने वाले उपादानों का क्रय

प्रत्यक्षण किट में निर्धारित उपादानों का क्रय प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित दर के अधीन जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है।

2.8 फसल प्रत्यक्षण के मॉडल

श्री विधि धान एवं श्री विधि गेहूँ के प्रत्यक्षण मॉडल में निर्धारित उपादान किट एवं अन्यान्य व्यय हेतु निहित नकद राशि लाभान्वित कृषकों को शिविर में जिला कृषि पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2.8.1 धान की श्री तकनीक प्रत्यक्षण हेतु मॉडल

इस प्रत्यक्षण पर 3000.00 रूपये की अधिसीमा निर्धारित है जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्र0 सं0	उपादान	मात्रा	अनुमानित दर* (रूपये में)	अनुमानित मूल्य* (रूपये में)
क्रय कर वितरित किये जाने वाले उपादान				
1	प्रमाणित बीज	2 कि0ग्रा0	25 रूपये/किलो	50.00
2	बीजोपचार : 200 ग्राम साधारण नमक, 4 ग्राम कार्बेन्डाजीम 50% WP			10.00
3	नर्सरी प्रबंधन :			
	1. वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट	20 कि0ग्रा0	6 रूपये/किलो	120.00
	2. जैविक उर्वरक (एजोस्पाइरलम एवं पी0एस0बी0)	400 ग्राम प्रत्येक	100 रू0/400 ग्राम	200.00
	3. झरना/झांझर	एक अदद्	150 रूपये/अदद्	150.00
4	उर्वरक :			
	1. एन0पी0के0 मिक्चर 12:32:16	50 कि0ग्रा0	400 रूपये/बैग	400.00
	2. यूरिया	25 कि0ग्रा0	6 रूपये/किलो	150.00
	3. सूक्ष्म पोषक तत्व जिंकसल्फेट ($ZnSO_4$ 33%)	2 कि0ग्रा0	60 रूपये/किलो	120.00
योग				**1200.00**
लाभुक किसान द्वारा उपादान क्रय हेतु नगद भुगतान				
5	वर्मी कम्पोस्ट/कम्पोस्ट	200 कि0ग्रा0	6 रूपये/किलो	1200.00
6	सिंचाई हेतु व्यय			600.00
योग				**1800.00**
कुल योग				**3000.00**

***नोट : उपरोक्त उपादानों का मूल्य अनुमानित है। वास्तविक मूल्य के आधार पर राशि परिवर्तनीय होगा परन्तु प्रति एकड़ प्रत्यक्षण हेतु अनुमान्य अधिसीमा रूपये 3000.00 से अधिक व्यय नहीं किया जाना है।**

2.8.2 श्री विधि से गेहूँ प्रत्यक्षण हेतु मॉडल : इस प्रत्यक्षण पर 3000.00 रूपये की अधिसीमा निर्धारित है जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्र0 सं0	उपादान	मात्रा	अनुमानित दर* (रूपये में)	अनुमानित मूल्य* (रूपये में)
प्रत्यक्षण हेतु आवश्यक उपादान किट का विवरण				
1	प्रमाणित बीज	10 कि0ग्रा0	25 रू0/किलो	250.00
2	बीजोपचार : 1. 27 लीटर गर्म पानी (60^{oc}) के साथ देशी गोमुत्र–3 लीटर 2. वर्मीकम्पोस्ट–3.0 कि0ग्रा0 3. गुड़–2.0 कि0ग्रा0 4. ट्राईकोडर्मा–50 ग्राम या 20 ग्राम कार्बेन्डाजीम 50% WP	अनुमानित व्यय	140.00 रूपये	140.00
3	वर्मीकम्पोस्ट	150 कि0ग्रा0	6 रू0/किलो	900.00
4	**उर्वरक**			
	बुआई के समय : 1. डायअमोनियम फास्फेट	25 कि0ग्रा0	560 रू0/बैग	280.00
	2. म्यूरेट ऑफ पोटाश	25 कि0ग्रा0	6 रू0/किलो	150.00
	3. बोरॉन 10.5%	5 कि0ग्रा0	100 रू0/किलो	500.00
	4. यूरिया दो उपरिवेशन	50 कि0ग्रा0	280 रू0/बैग	280.00
5	सिचाई हेतु व्यय (केवल क्रीटकल अवस्था के लिये)			500.00
योग				**3000.00**

***नोट : उपरोक्त उपादानों का मूल्य अनुमानित है। वास्तविक मूल्य के आधार पर राशि परिवर्तनीय होगा परन्तु प्रति एकड़ प्रत्यक्षण हेतु अनुमान्य अधिसीमा रूपये 3000.00 से अधिक व्यय नहीं किया जाना है।**

2.9 प्रत्यक्षण संबंधी सूचनाओं का संधारण :

1. प्रत्येक प्रत्यक्षण के लाभुक के संबंध में किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा विहित प्रपत्र परिशिष्ट–9 में सूचना संधारित की जानी है। अंकित सूचनाओं को जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना है।
2. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर पर प्रत्यक्षण के संबंध में सूचनाओं को पंजी में संधारित किया जाना है तथा समय–समय पर प्रत्यक्षण के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण टिप्पणी अंकित करायी जानी है।
3. प्रत्यक्षण के सफल/असफल होने के कारण को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना है।
4. फसल प्रत्यक्षण में अपनाये गये तकनीकी प्रभाव को जानने के लिये फसल जाँच कटनी प्रयोग निश्चित रूप से की जानी है। कंट्रोल प्लॉट का फसल जाँच भी साथ–साथ किया जाना है।
5. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा फसल जाँच कटनी में प्राप्त उत्पादन विहित प्रपत्र में संधारित करते हुये प्रतिवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय–3

3.0 मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत धान एवं गेहूँ के नवीनतम प्रभेदों के बीज मिनीकिट केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसलों के नवीनतम प्रभेदों के बीज को कृषको के खेत में प्रत्यक्षण हेतु निःशुल्क वितरित किया जाना है। जिला स्तर पर लक्षित मात्रा के बीज की आपूर्ति प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रांतीय बीजोत्पादक कंपनियों के माध्यम से राज्य में की जानी है।

3.1 मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम को निम्नांकित रूप से क्रियान्वित किया जाना है।

1. प्रत्येक 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक मिनीकिट का लक्ष्य निर्धारित है।
2. भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य को समानुपातिक रूप से जिलों को उपावंटित किया जाना है।
3. आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा बीज मिनीकिट जिलों में ससमय उपलब्ध किया जाना है।
4. जिला कृषि पदाधिकारी मिनीकिट बीज को जिला स्तर पर प्राप्त करेंगें तथा लक्ष्य को प्रखंडवार/पंचायतवार उपावंटित करते हुए वितरण कार्य प्रखंड स्तर पर करावेगें।
5. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज की मात्रा की प्राप्ति रसीद तत्काल दिया जाना है।
6. आपूर्तिकर्ता नोडल एजेंसी द्वारा जिलों में आपूर्ति किये गये मिनीकीट बीज की प्राप्ति रसीद सहित समेकित रूप से विपत्रों को मिशन निदेशक के समक्ष ससमय उपस्थापित किया जाना है जिससे भुगतान हेतु भारत सरकार को अनुशंसा किया जा सके।
7. प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा पंचायत के जन प्रतिनिधि के सहयोग से कृषक का चयन कर मिनीकिट का वितरण करेंगें तथा लाभान्वित कृषकों की अनुसंशित सूची जिला कृषि पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करावेंगें।
8. लाभान्वितों की संख्या का **17 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित किया जाना है।
9. **लघु/सीमांत/महिलाओं को 33 प्रतिशत** सहभागिता सुनिश्चित किया जाना है।
10. मिनीकिट प्रत्यक्षण के संबंध में विहित प्रपत्र परिशिष्ट–10 में सूचनाओं को अंकित करते हुये जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाना है।
11. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर पर मिनीकिट प्रत्यक्षण के संबंध में सूचनाओं को पंजी में संधारित किया जाना है तथा समय–समय पर प्रत्यक्षण के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण टिप्पणी अंकित करायी जानी है।
12. प्रत्यक्षण के सफल/असफल होने के कारण को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना है।
13. मिनीकिट प्रत्यक्षण के फलाफल को जानने के लिये फसल जाँच कटनी प्रयोग निश्चित रूप से की जानी है। कंट्रोल प्लॉट का फसल जाँच भी साथ–साथ किया जाना है।
14. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा फसल जाँच कटनी में प्राप्त उत्पादन विहित प्रपत्र में संधारित करते हुये प्रतिवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग को ससमय उपलब्ध कराया जाना है।
15. कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा समय–समय पर प्रत्यक्षण स्थल का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन निश्चित रूप से लिया जाना है।

3.2 **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल** अंतर्गत अधिक उपजशील प्रभेद के लिए 5 किलोग्राम का मिनीकिट पैकेट तथा संकर धान के लिए 6 किलोग्राम का मिनीकिट पैकेट का वितरण किया जाना है।

3.3 **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ** अंतर्गत अधिक उपजशील प्रभेद का 10 किलोग्राम का मिनीकिट पैकेट का वितरण किया जाना है।

3.4 **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन** अंतर्गत उन्नतशील प्रभेद का 4 किलोग्राम का मिनीकिट पैकेट का वितरण किया जाना है।

3.5 मिनीकीट प्रत्यक्षण के फलाफल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग द्वारा राज्य स्तर पर समेकित करते हुये विशलेषण एवं मूल्यांकन किया जाना है।

अध्याय–4

4.0 बीज वितरण कार्यक्रम

फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित वृद्वि लाने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले प्रभेद के द्वारा बीज बदलाव अतिआवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन के अन्तर्गत अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम किया जाना है। भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दर 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 33% निर्धारित है। वर्ष 2011–12 में बीज प्रतिस्थापन का दर 33% रखा गया है। वर्ष 2011–12 में संकर धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत लिया गया है जिसके कारण इस वर्ष अनुदानित दर पर संकर धान बीज वितरण कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं है।

4.1 प्रभेद की अनुमान्य आयु सीमा

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये चावल, गेहूँ एवं दलहन के प्रभेदों के आयु सीमा को शिथिल किया गया है। इस प्रकार प्रमाणित बीज वितरण अन्तर्गत प्रभेदों के 10 वर्ष की आयु सीमा की बाध्यता वर्ष 2011–12 में नहीं है।

4.2 अनुशंसित प्रभेद : निम्नांकित प्रभेदों के प्रमाणित बीज वितरित किया जा सकता है।

4.2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल : स्वर्णा सब–1, सहभागी धान, राज भगवती, राजेन्द्र स्वेता, राजेन्द्र महसूरी, पूसा सुगंध–4, पूसा सुगंध–5, 6, राजेन्द्र सुवाषिनी, राजेन्द्र कस्तुरी, नवीन (IET14461), एम0टी0यू0–1010, 1031, 1032, सुगंधा, पी0आर0–113, 114, 115, 116, 118, पंत धान– 10, 11, 12, 16, सी0एस0आर0–36, एम0टी0यू0–1001, नरेन्द्र–359, सी0एस0आर0–27, पूसा–44, राजश्री, बी0पी0टी–5204, सरजू–52, एम0टी0यू0–7029, पी0आर0–114, 106, पंत धान–4, गौतम, रिक्षारिया, धनलक्ष्मी, प्रभात, साकेत–4 एवं आई0आर0 36 आदि।

4.2.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ : एच0डी0–2824, के0–307, एन0डब्लू0–2036, के0–9423, पी0बी0डब्लू0–502, यू0पी0–2554, 2665, डब्लू0आर0–544, एच0डब्लू0–2045, राज–4037, 4120, मालवीय गेहूँ–510, पी0बी0डब्लू0–443, एच0 डी0–2733, एच0डब्लू0–2045, एच0डी0–2781, डी0बी0डब्लू0–14, राज–3765 आदि।

4.2.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन

- **अरहर** : मालवीया अरहर–13, मालवीया अरहर–6, बहार, शरद, पूसा–9, नरेन्द्र अरहर–1 आदि।
- **चना** : पंत जी0–10, वैभव, बी0जी0–1053, अनुराधा, गुजरात चना–4, पूसा–256, पूसा–372, सम्राट, वरदान आदि।
- **मसूर** : एच0यू0एल0–57, आजाद मसूर–1, आई0पी0एल0–81, हरियाना मसूर–1, पंत एल0–8, अरुण, पी0एल0–406, डी0पी0एल0–62, डी0पी0एल0–15 आदि।
- **मटर** : वी0एल0 मटर, एच0यू0डी0पी0–15, अम्बिका, रचना, शिखा, उत्तरा, हरभजन आदि।
- **मूँग** : एच0यू0एम0–12, 16, एस0एम0एल0–668, पूसा विशाल, पी0डी0एम0–139, मेहा, मुस्कान, टी0एम0–37, सोना, पंत मूंग आदि।
- **उड़द** : उत्तरा (आई0पी0यू0–94–10), आजाद–1, 2, पंत उड़द–19, शेखर–2, टी0–9, बिरसा उड़द–1 आदि।

4.3 अनुदान की अनुमान्य राशि एवं अनुमान्य अधिसीमा

4.3.1 अधिक उपजशील प्रभेद धान : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत अधिक उपजशील प्रमाणित धान बीज के लिए अनुदान की अधिकतम राशि 500.00 रू0 प्रति क्विंटल या खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा 200.00 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय है। इस प्रकार अधिकतम रूपये 700.00 प्रति क्विंटल अनुदान का दर अनुमान्य है।

4.3.2 अधिक उपजशील प्रभेद गेहूँ : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत अधिक उपजशील प्रमाणित गेहूँ बीज के लिए अनुदान की अधिकतम राशि 500.00 रू0 प्रति क्विंटल या खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा 200.00 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय है। इस प्रकार अधिकतम रूपये 700.00 प्रति क्विंटल अनुदान का दर अनुमान्य है।

4.3.3 **उन्नत प्रभेद दलहन** : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत अधिक उपजशील प्रमाणित दलहनी बीज के लिए अनुदान की अधिकतम राशि 1200.00 रू0 प्रति क्विंटल या खुदरा मूल्य का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा 800.00 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय है। इस प्रकार अधिकतम रूपये 2000.00 प्रति क्विंटल अनुदान का दर अनुमान्य है।

4.3.4 एक किसान को अधिकतम पाँच हेक्टेयर खेती के लिए केवल एक बार अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज देने की अनुमान्यता है।

4.4 आपूर्त्तिकर्ता प्रतिष्ठान का चयन एवं वितरण प्रक्रिया

1. सरकारी बीज कम्पनियों यथा बिहार राज्य बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम/स्टेट फार्म सीड कॉरपोरेशन/उत्तराचंल बीज एवं तराई विकास निगम/उत्तर प्रदेश बीज निगम/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित बीज अनुदानित दर पर वितरण कराया जाना है।
2. सरकारी बीज कम्पनी अपने जिला वितरकों को अनुदान की राशि घटाकर विक्रय करेगें तथा तत्काल इसकी सूचना कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को देगें।
3. जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले के लिये निर्धारित भौतिक लक्ष्य का प्रखंडवार वितरण करते हुये अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता बीज प्रतिष्ठानों को संबद्ध करेगें तथा अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम का बैनर/पोस्टर विक्रेता प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करावेगें जिसमें बीज के प्रभेद एवं दर अंकित रहेगा।
4. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बीज वितरकों की समीक्षा करेगें तथा जिला में उपलब्ध अनुदानित बीज की मात्रा का प्रखंडवार/विक्रेतावार लक्ष्य का निर्धारण एवं क्षेत्र का परिसीमन करते हुये बीज वितरण कार्यक्रम क्रियान्वित करावेगें।
5. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक चिन्हित अनुज्ञप्ति प्राप्त अधिकृत विक्रेता को बीज वितरण हेतु समुचित आदेश निर्गत कर अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम क्रियान्वित करावेगें।
6. यदि कोई पैक्स बीज वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता है तो बीज व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कर शामिल हो सकता है।
7. अनुदानित दर पर बीज बिक्री करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिये लाभान्वितों के सत्यापन हेतु प्रत्येक प्रखंड में एक–एक पदाधिकारी कर्णांकित किये जायेगें जो वितरण की अवधि में प्रतिष्ठानों का समय–समय पर भ्रमण करेंगे एवं वितरण की अवधि समाप्त होने पर दावा विपत्र का सत्यापन करेंगे।
8. वितरण के प्रारंभ में जिला के प्रतिष्ठान का ओपनिंग स्टॉक, बीज प्राप्ति का स्त्रोत एवं वितरित किये जाने वाले प्रभेद का विवरण अंकित कर उस पंजी को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। प्रतिष्ठान द्वारा पंजी में विहित प्रपत्र परिशिष्ट–3 के अनुसार सूचनाओं को अंकित करते हुये बीज वितरण किया जायेगा एवं वितरण की अवधि समाप्त होने पर जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में इसे सुरक्षित रखा जाना है।
9. प्रत्येक चिन्हित दुकान पर बीज का दर तथा प्रभेद के सम्बन्ध में जानकारी के साथ–साथ कार्यक्रम के सम्बन्ध में फ्लैक्सी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

4.5 लाभार्थी कृषक की पात्रता

1. इच्छुक कृषक जो अनुदान के अन्तर्गत अच्छादित फसल की खेती करते हैं अनुदानित दर पर बीज प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।
2. अनुदानित दर पर बीज प्राप्त करने हेतु कृषक अपने पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र) के उपस्थापन पर बीज प्राप्त कर सकेंगे। अगर पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के किसी भी सदस्य के अनुशंसा पर बीज प्राप्त कर सकेंगे।
3. पहचान पत्र की छाया प्रति बीज विक्रेता द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिसका उपयोग विपत्र के सत्यापन के समय सत्यापन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य का **17% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** के कल्याणार्थ राशि आरक्षित की जानी है। अतः इनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाय। **लघु/सीमान्त/महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33%** सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

4.6 अनुदान दावा भुगतान की प्रक्रिया

1. सरकारी बीज कम्पनियों को बीज की आवक की सूचना पर मात्रा के अनुसार श्रोत पर अनुमान्य अग्रिम अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है। बीज उत्पादक प्रतिष्ठान द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी के सत्यापन प्रतिवेदन तथा उनके पास बीज प्राप्ति के सबूत (यथा चालान/रोड परमिट/डेलिवरी ऑर्डर) के साथ दावा विपत्र मिशन निदेश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
2. सरकारी बीज कम्पनी राज्य में बीज के आगमन संबंधी अभिलेखों के साथ अनुदान दावा कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक के समक्ष करेगें। समीक्षोपरांत अग्रिम अनुदान का भुगतान संबंधित सरकारी बीज कम्पनियों को किया जायेगा।
3. सरकारी बीज कम्पनी को योजनावार/जिलावार आवंटित लक्ष्य के आलोक में संबंधित जिले के वितरक को अनुदान की राशि घटाकर बीज उपलब्ध करावेगें तथा आपूर्त्ति की गयी बीज की मात्रा की सूचना संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को विहित प्रपत्र परिशिष्ट–14 में भेजना सुनिश्चित करेगें।
4. जिला कृषि पदाधिकारी संबंद्ध विक्रेता प्रतिष्ठानों का अनुदानित दर पर वितरित बीज का सत्यापन करावेगें तथा विहित प्रपत्र परिशिष्ट–15 में सत्यापन प्रतिवेदन कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक को उपलब्ध करावेगें।
5. सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में अनुदान पर वास्तविक वितरित बीज की मात्रा के आधार पर वास्तविक राशि का भुगतान/समायोजन बीज कम्पनियों को कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक स्तर से किया जायेगा।
6. किसानों की वर्गीकरणवार सूची जिला कार्यालय में संधारित किया जाना है तथा इसकी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मिशन निदेशक को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।

4.7 गुण नियंत्रण :

अनुदानित दर पर वितरित किये जाने वाले बीज का नमूना बीज निरीक्षक यथा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/बीज निरीक्षक के द्वारा विभिन्न स्तरों से संग्रह किया जाना है तथा इसकी जाँच बीज परीक्षण प्रयोगशाला में करायी जानी है। नमूना के अमानक पाये जाने के स्थिति में बीज अधिनियम के तहत् समुचित कार्रवाई की जानी है।

4.8 प्रचार–प्रसार :

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बीज वितरण हेतु अनुदान के सम्बन्ध में पंचायत/प्रखंड स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है। **"पहले आओ पहले पाओ"** के सिद्धान्त पर वितरण का भी प्रचार–प्रसार होना आवश्यक है।

4.9 अभिलेख का संधारण :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों की वर्गीकरणवार प्रखंडवार/पंचायतवार सूची सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र परिशिष्ट–16 में संधारित की जानी है तथा इसको जिला स्तर पर सुरक्षित रखा जाना है।

अध्याय–5

5.0 दलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम

दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज की अत्यंत कमी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत बीजोत्पादन कार्यक्रम निर्धारित है। राज्य स्तर पर उत्पादित दलहनी बीज का प्रमाणीकरण तथा इसका विस्तार कृषकों के मध्य किया जाना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नांकित रूप से किया जाना है।

5.1 प्रजनक बीज का क्रय

1. राज्य स्तर पर बीजोत्पादन कार्यक्रम के लिए उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र), बिहार, नोडल पदाधिकारी घोषित हैं। बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन के अन्तर्गत बीज उत्पादन कार्य किया जाना है तथा इसके लिये नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है।
2. भारत सरकार द्वारा आवंटित दलहनी फसलों के प्रजनक बीज की सूचना प्राप्त होते ही इसका आरक्षण एवं क्रय की कार्रवाई उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र), बिहार, पटना की सहायता से विपणन प्रमुख बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा यथा शीघ्र की जानी है। बीज उत्पादन हेतु राशि का पूर्ण आवंटन बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध कराया जाना है।
3. क्रय किये गये प्रजनक बीज का उप–आवंटन उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र), बिहार, पटना के द्वारा राजकीय प्रक्षेत्रों हेतु किया जाना है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो बिहार राज्य बीज निगम के निबंधित बीजोत्पादक के स्तर पर बीज की मात्रा आवंटित कर आधार बीज का उत्पादन कराया जाना है।

5.2 आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीज गुणन प्रक्षेत्रों/निबंधित बीज उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज का क्रय बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा किया जाना है।
2. बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा बीज का उठाव, ग्रेडींग, परिसंस्करण, बैगिंग, टैगिंग का कार्य तथा बिहार राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण, पटना से बीज प्रमाणन का कार्य कराया जाना है। परिसंस्कृत बीज पर रूपये 1000.00/क्वीं0 की दर से कुल सहायता अनुदान देय है। बिहार राज्य बीज निगम, पटना को 250.00 रू0 प्रति क्वीं0 हैडलिंग, ग्रेडींग, ट्रांसपोर्टेशन एवं परिसंस्करण हेतु तथा प्रक्षेत्रों/निबंधित बीज उत्पादक को 750.00 रू0 प्रति क्वीं की दर से अनुदान सहायता दिया जाना है।
3. आधार बीज उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु अनुदान की राशि बिहार राज्य बीज निगम को उपलब्ध कराया जाना है।
4. बिहार राज्य बीज निगम, पटना द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंस्कृत दलहनी फसलों के प्रक्षेत्रवार उत्पादित आधार बीज की मात्रा की सूचना मिशन निदेशक, बिहार को उपलब्ध कराया जाना है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मिशन निदेशक को उपलब्ध कराया जाना है।
5. प्रक्षेत्रों को उपलब्ध करायी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का उपयोग उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र) के मार्गदर्शन में संबंधित प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास हेतु किया जाना है।

5.3 प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम

1. वैसे कृषकों को ही प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा जो अनुबंध करने हेतु इच्छुक हों तथा बिहार राज्य बीज निगम के स्तर पर बीज उत्पादन हेतु निबंधित हों।
2. नये बीज उत्पादक कृषक के लिये बीज निगम अपने स्तर से सहयोग करेंगे तथा बिहार राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण, पटना से संपर्क कर बीजोत्पादक कृषकों का पंजीकरण, प्रक्षेत्र निरीक्षण आदि कार्य संपन्न करावेंगें।
3. बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निबंधित बीज उत्पादक कृषक के क्षेत्रफल के आधार पर दलहनी आधार बीज को मूल्य के 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है। अनुदान की राशि का समायोजन प्रमाणित बीज उत्पादन के पश्चात् दी जाने वाली अनुदान की राशि से समायोजित की जानी है।
4. बीज उत्पादन कार्यक्रम के पूर्व बीज उठाव हेतु दर का निर्धारण बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कराया जाना है तथा इसकी सूचना बीज उत्पादक कृषकों को उपलब्ध करायी जानी है।
5. बीज उत्पादन हेतु बीज निगम तथा बीज उत्पादक कृषक के मध्य अनुबंध में बीज का संभावित क्रय मूल्य तथा उत्पादित बीज के बीज निगम को विक्रय हेतु शर्त अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है।
6. बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निबंधित बीज उत्पादक कृषकों के स्तर पर उत्पादित बीज का आंकलन किया जाना है तथा इसके उठाव के लिये समुचित तैयारी की जानी है।
7. बीज उत्पादक कृषकों को प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 750.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान एवं प्रसंस्करण एजेन्सी बिहार राज्य बीज निगम को 250.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर से ग्रेडिंग, प्रसंस्करण एवं परिवहन के लिए अनुदान देय होगा।
8. बीज निगमों के द्वारा कृषको से उत्पादित बीज का क्रय करेंगें तथा इसके परिसंस्करण के पश्चात् कृषकवार उत्पादित शुद्ध प्रमाणित बीज की मात्रा की सूचना कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक को उपलब्ध करावेगें।
9. वित्तीय वर्ष के अन्त में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा राशि की उपयोगिता का प्रमाण विहित प्रपत्र परिशिष्ट–16 में मिशन निदेशक, बिहार, पटना को सुलभ करावेंगे।

5.4 बिहार राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण का सुदृढ़ीकरण

1. बीज उत्पादन कार्यक्रम में संलग्न एवं सहयोगी बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना के सुदृढ़ीकरण हेतु 25 लाख रूपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान राशि अनुज्ञात है।
2. बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना से विस्तृत कार्य योजना प्राप्त होने पर भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाना है।
3. योजना स्वीकृत होने के उपरांत कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।
4. बिहार राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण द्वारा राशि की उपयोगिता का प्रमाण विहित प्रपत्र परिशिष्ट–16 में मिशन निदशक, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष के अन्त में उपलब्ध कराया जाना है।

अध्याय–6

6.0 उर्वरता प्रबंधन कार्यक्रम

बिहार के प्रायः सभी जिलों की मिट्टी में जिंक एवं बोरान (Zn, B) की कमी को मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है। खाद्यान फसलों के उत्पादन में इन सुक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये विभिन्न विशिष्टी के इन उर्वरकों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। बिहार में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल अत्यंत कम है जिसके कारण चूना वितरण कार्यक्रम को नहीं लिया गया है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा अधिक है उन क्षेत्रों में गेहूँ के अन्तर्गत मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम/पॉइराइट वितरण कार्यक्रम किया जाना है। दलहनी फसलों में सल्फर के प्रयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि में सहायक है। अतः सल्फर एवं फास्फोजिप्सम वितरण कार्यक्रम लिया गया है। अधिकांश दलहनी फसलों में जैव उर्वरकों यथा राइजोवियम, पी0सी0बी0, वाम (माइकोराइजा) के उपयोग से क्रमशः नेत्रजन स्थरीकरण/स्फूर की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव उर्वरकों वितरण किया जाना है। इन उपादानों के वितरण कार्यक्रम हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं।

1. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्रखंडवार विखंडित किया जाना है तथा इसकी सूचना संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है।
2. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिले में विक्रेता प्रतिष्ठान का चयन किया जाना है जहाँ से मानक सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम/पॉयराइट, फास्फोजिप्सम, सल्फर एवं जैव उर्वरकों को अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है।
3. विहित विशिष्टी के मानक सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम/पॉयराइट, फास्फोजिप्सम, सल्फर एवं जैव उर्वरकों का मूल्य दर विभागीय निर्णय के अनुसार संबंधित प्रमंडलों के संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाना है।
4. संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित दर के अधीन उपादान वितरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है।
5. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना है तथा इसका का अनुमोदन जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से कराया जाना है।

6.1 लाभार्थी कृषक की पात्रता

1. इच्छुक कृषक जो चावल, गेहूँ अथवा दलहनी फसल की खेती करते हैं अनुदानित दर पर उर्वरता प्रबंधन के उपादान प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।
2. अनुदानित दर पर उर्वरता प्रबंधन के उपादान यथा सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक बोरॉन), जिप्सम/पॉयराइट, फास्फोजिप्सम, सल्फर एवं जैव उर्वरक प्राप्त करने हेतु कृषक अपने पहचान पत्र की प्रति (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र) अथवा त्रिस्तरीय पंचायत समिति के किसी भी सदस्य के अनुशंसा पर उनके क्षेत्र के लिए प्राधिकृत विक्रेता प्रतिष्ठान से शेष नगद भुगतान पर प्राप्त कर सकेंगे।
3. पहचान पत्र की छाया प्रति विक्रेता प्रतिष्ठान द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा जिसका उपयोग विपत्र के सत्यापन के समय सत्यापन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य का **17% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** के कल्याणार्थ राशि आरक्षित है। **लघु/सीमान्त/महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33%** सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
5. एक कृषक को एक बार में मात्र पॉच हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रयोग हेतु एक उपादान उपलब्ध कराया जाना है।

6.2 प्रतिष्ठान/विक्रेता का चयन

1. अनुमान्य विशिष्टी के सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक, बोरॉन) जिप्सम/पॉयराइट, फास्फोजिप्सम, सल्फर तथा जैव उर्वरक (राइजोवियम, पी0सी0बी0, वाम एवं माइकोराइजा) की आपूर्ति करने वाले ISO प्रमाणित प्रतिष्ठित कंपनियों/प्रतिष्ठानों जिनकी अनुज्ञप्ति राज्य में विपणन हेतु निर्गत है उनके मानक उत्पाद को अनुदानित दर पर वितरण हेतु चयनित किया जाना है।
2. राज्य में अधिसूचित प्रतिष्ठानों के अधिकृत विक्रेताओं को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिप्सम या पायराइट एवं फास्फोजिप्सम, सल्फर तथा जैव उर्वरकों के अनुदानित दर पर विक्रय हेतु चिन्हित किया जाना है।
3. चिन्हित किये गये विक्रेता प्रतिष्ठानों का जिला में विपणन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त होना अनिवार्य है।

6.3 वितरण व्यवस्था

1. जिला कृषि पदाधिकारी चिन्हित प्रतिष्ठानों को प्रखंडों से सम्बद्ध करेंगे तथा प्रखंडवार विखंडित लक्ष्य के अनुसार अनुदानित दर पर वितरण हेतु समुचित आदेश निर्गत करेंगे जिसमें उपादानों का दर, कृषक को वितरण हेतु अधिकतम मात्रा, फलैक्सी बोर्ड लगाने, स्टॉक की उपलब्धता तथा इसके लिए पंजी आदि संधारित करने हेतु स्पष्ट निदेश देगें।
2. अनुदान वितरण का कार्यक्रम निर्धारित अवधि तक चलेगा। इस अवधि का निर्धारण जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है।
3. विक्रेता प्रतिष्ठानों के स्तर पर प्रखंडवार वितरण पंजी संधारित की जानी है जिसमें लाभार्थी कृषक का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता अंकित करते हुये अनुदानित दर पर वितरित उपादान की मात्रा तथा मूल्य की प्रविष्टि की जानी है। पंजी में लाभुक कृषक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लिया जाना अनिवार्य है।
4. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वितरण व्यवस्था के निगरानी हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को विक्रेता प्रतिष्ठानवार सम्बद्ध किया जाना है। सम्बद्ध किये गये पदाधिकारी द्वारा वितरण पंजी तथा भंडार पंजी में उपलब्ध उपादानों की मात्रा का सत्यापन किया जाना है।
5. सम्बद्ध किये गये पदाधिकारी द्वारा वितरण की स्थिति की जानकारी कार्यक्रम चलने की अवधि में जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिदिन उपलब्ध करायी जानी है।

6.4 गुण नियंत्रण

1. जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से उपादानों का पर्याप्त संख्या में नमूना संग्रह कर गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से विश्लेषण कराकर गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
2. उपादानों के अमानक पाये जाने की स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा समुचित कर्रवाई की जानी है।

6.5 भुगतान प्रक्रिया

1. चिन्हित प्रतिष्ठानों द्वारा उपादान वितरण के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में दावा भुगतान हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया जाना है।
2. जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान भुगतान संबंधी अभिलेख तथा अभिश्रव के सत्यापन के उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान विक्रेता प्रतिष्ठान को एक सप्ताह में किया जाना है तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान लाभार्थी कृषकों के रेन्डम भौतिक सत्यापन से संतुष्ट होने के उपरांत किया जाना है। विक्रेता प्रतिष्ठान द्वारा अनियमित ढ़ग से उपादानों के वितरण किये जाने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है।
3. दावा भुगतान अनिवार्य रूप से लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना है।

6.5.1 सूक्ष्म पोषक तत्व की विशिष्टी एवं उपयोग का दर :

पोषक तत्व का नाम	विशिष्टी	उपयोग का दर
जिंक	1. जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड 21% (S.A)	25 किग्रा प्रति हे0
	2. जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड 33%(S.A)	15 किग्रा प्रति हे0
	3. जिंक E.D.T.A 12% (F.A)	500 ग्राम प्रति हे0
बोरॉन	1. बोरॉन 15.% B (डाई सोडियम टेट्राबोरेट पेन्टा हाइड्रेट) (S.A)	3 किग्रा प्रति हे0
	2. बोरिक एसीड 17% B (S.A.)	3 किग्रा प्रति हे0
	3. बोरॉन 10.5% B (सोडियम टेट्राबोरेट) (S.A.)	5 किग्रा प्रति हे0

6.5.2 मृदा सुधारक एवं सल्फर की विशिष्टी एवं उपयोग का दर :

पोषक तत्व का नाम	विशिष्टी	उपयोग का दर
मृदा सुधारक	1. जिप्सम 18.6% S (गेहूँ के लिये)	200 किग्रा प्रति हे0
	2. पॉयराइट 24.% S (गेहूँ के लिये)	200 किग्रा प्रति हे0
सल्फर	3. फास्फोजिप्सम 17% S (दलहन के लिये)	100 किग्रा प्रति हे0
	4. सल्फर 80% WDG	10 किग्रा प्रति हे0

6.5.3 जैव उर्वरक की विशिष्टी एवं उपयोग का दर :

जैव उर्वरक का नाम	विशिष्टी	उपयोग का दर
राइजोबियम	1. अरहर, उड़द, मूँग, मसूर, चना, मटर के राइजोबियम स्पेसीस के कल्चर @ 20 ग्राम प्रति किलो बीज	500–1000 ग्राम प्रति हे0
पी0एस0बी0	1. पी0एस0बी0 कल्चर @ 10 ग्राम प्रति किलो बीज	250–500 ग्राम प्रति हे0
माइकोराइजा	1. वी0ए0एम0 कल्चर @ 25 ग्राम प्रति किलो बीज	500–1000 ग्राम प्रति हे0

6.6 अनुदान हेतु अनुमान्य अधिसीमा

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल, गेहूँ एवं दलहन अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरकों के वितरण हेतु भारत सरकार से अनुदान अधिसीमा उर्वरक की मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500.00 रूपये प्रति हे0 दोनों में जो कम हो अनुमान्य है।
2. सूक्ष्म पोषक तत्वों का कृषकों द्वारा अधिक से अधिक प्रयोग करने के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा 40% अधिकतम 400.00/हे0 अतिरिक्त अनुदान की राशि उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. इस प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुदान अधिसीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत अधिकतम 900.00 रूपये प्रति हेक्टेयर दोनों में जो कम हो देने का निर्णय लिया गया है।
4. मृदा सुधारक के रूप में गेहूँ में जिप्सम/पायराइट मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 500.00 रूपये प्रति हे0 (दोनों में जो कम हो) अनुदान के रूप में अनुमान्य है।
5. दलहनी फसलों में गौढ पोषक तत्व के रूप में सल्फर के व्यवहार हेतु फास्फोजिप्सम अथवा सल्फर 80% WDG के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 750.00 रूपये प्रति हे0 (दोनों में जो कम हो) अनुदान के रूप में अनुमान्य है।
6. दलहनी फसलों में राइजोबियम/पी0एस0बी0/माइकोराइजा जैसे जैव उर्वरक के कल्चर का उपयोग कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर इनका व्यवहार किया जाना है।
7. राइजोबियम/पी0एस0बी0/वाम जैसे जैव उर्वरकों के कल्चर पर भारत सरकार द्वारा अनुदान अधिसीमा मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 100.00 रूपये दोनों में जो न्यूनतम हो अनुदान के रूप में अनुमान्य है। राज्य सरकार द्वारा जैव उर्वरकों के व्यवहार पर अतिरिक्त अनुदान 40% अधिकतम 80.00 रूपये देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार जैव उर्वरकों के लिये कुल अनुदान अधिसीमा 180.00 रूपये/हेक्टेयर अथवा मूल्य का 90% दोनों में जो न्यूनतम हो देय होगा।

6.7 प्रचार–प्रसार

1. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों, चूना, जिप्सम/पॉयराइट, फास्फोजिप्सम, जैव उर्वरक के अनुदानित दर पर वितरण, इसकी उपयोगिता के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है। **''पहले आओ पहले पाओ''** के सिद्धान्त पर वितरण का भी प्रचार–प्रसार होना आवश्यक है।
2. विभिन्न अवसरों पर जिले में आयोजित मेला में तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके उपयोग, लाभ तथा अनुदान के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जानी है। राज्य स्तर से समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं रेडियों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है।

6.8 अभिलेख का संधारण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों की वर्गीकरणवार प्रखंडवार/पंचायतवार सूची सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र परिशिष्ट–16 में संधारित की जानी है तथा इसको जिला स्तर पर सुरक्षित रखा जाना है।

अध्याय–7

7.0 कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम

कृषि कार्यों को समय पर करने तथा कृषि लागत में कमी लाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों/उपकरणों को भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित यंत्रों/उपकरणों को अनुमान्य अनुदान राशि के अन्तर्गत कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है। भारत सरकार अनुमान्य अधिसीमा के अतिरिक्त कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कुछ यंत्रों पर अलग से अनुदान सहायता देते हुये अनुदान अधिसीमा समरूप किया गया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सहित अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी श्री आदित्य नारायण राय, उप कृषि निदेशक (प्रसार), बिहार, पटना नामित हैं।
2. इस योजना के तहत अनुदान पर दिये जाने वाले मशीन/यंत्र आई0एस0आई0 मार्का अथवा एफ0एम0टी0टी0आई0/सी0ए0आई0ई0, भोपाल अथवा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कृषि अभियंत्रण विज्ञानी से परीक्षित एवं प्रमाणित होना अनिवार्य है।
3. मानक कृषि यंत्रों के मेक/मॉडल एवं अधिकतम मूल्य सहित निर्माताओं/आपूर्त्तिकर्ताओं को निदेशालय में सूचीबद्ध किया जाना है। इन सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा निर्मित मानक कृषि यंत्रों के मेक/मॉडल का ही अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण किया जाना है।
4. संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्रखंडवार विखंडित किया जाना है तथा इसकी सूचना संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है।
5. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिले में आपूर्तिकर्त्ता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता प्रतिष्ठान का चयन किया जाना है। जिले के अधिकृत विक्रेता द्वारा मानक कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर कृषि यांत्रिकरण मेला में वितरण कराया जाना है।
6. विभाग द्वारा कृषि यंत्रों का दर संसूचित नहीं रहने की स्थिति में यंत्रों के मूल्य का निर्धारण जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाना है।
7. जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला के लिये तैयार कार्य योजना को जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वित करावेंगे।

7.1 लाभार्थी कृषक की पात्रता

1. कृषक अथवा कृषकों का समूह कृषि यंत्र/उपकरण के क्रय के लिये इच्छुक हो।
2. कृषक अथवा कृषकों का समूह जिस यंत्र के क्रय हेतु इच्छुक हो उसका लाभ इस योजना अवधि में प्राप्त नहीं किया हो।
3. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिये 17%** तथा **लघु/सीमान्त/महिला कृषकों के लिये 33%** का आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है।
4. लाभ लेने के लिये विहित प्रपत्र में कृषक द्वारा आवेदन किया गया हो जिसमें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निकाय के जनप्रतिनिधि की अनुशंसा प्राप्त हो।

7.2 आवेदन की प्रक्रिया

1. विहित प्रपत्र परिशिष्ट–6 में सभी सूचनाओं के साथ इच्छुक कृषक अथवा कृषक समूह लाभ लेने हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अन्य कृषि पदाधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करेंगे।

2. प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक अलग पंजी संधारित की जानी है जिसमें प्राप्त आवेदन पत्र को पंजीकृत किया जाना है। पंजीकरण का क्रमांक एवं तिथि सहित अन्य विवरण को अंकित कर एक प्राप्ति रसीद कृषक को उपलब्ध कराया जाना है।
3. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड हेतु निर्धारित लक्ष्य के अधीन आवेदन की स्वीकृति दी जानी है। समय सीमा के अन्तर्गत प्रखंड के लक्ष्य की उपलब्धि यदि नहीं हो पाती है, तो जिला कृषि पदाधिकारी अपने विवेक के अनुसार दूसरे प्रखंडों में लक्ष्य आवंटित कर उपलब्धि हासिल करेगें।
4. अनुदान पर छोटे कृषि यंत्रों के प्राप्त करने हेतु किसान अपने पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र) के उपस्थापन पर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकेंगे। अगर पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हो तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति के किसी भी सदस्य के अनुशंसा पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा।
5. पहचान पत्र की छाया प्रति विक्रेता द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा जिसका उपयोग विपत्र सत्यापन हेतु किया जायेगा।
6. कृषि यांत्रिकरण मेला के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है।
7. ''पहले आओ पहले पाओ'' के सिद्धांत पर लाभार्थी के आवेदन को प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा सहित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है।

7.3 वितरण प्रक्रिया

1. जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर प्रखंड़ों से प्राप्त अनुशंसित आवेदन को पंजी में सूचीबद्ध किया जाना है।
2. लाभार्थी के आवेदन पत्र की स्वीकृति के पश्चात् जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इच्छित एवं मानक कृषि यंत्र के क्रय हेतु लाभार्थी को स्वीकृति पत्र विहित प्रपत्र परिशिष्ट–7 निर्गत किया जाना है।
3. लाभार्थी को निर्गत स्वीकृति पत्र में कृषि यंत्र का नाम, मेक/मॉडल आदि विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है।
4. लाभार्थी कृषक कृषि यंत्र का क्रय मेला में प्रतिभागी प्रतिष्ठान से अनुदानित दर पर करेगें अथवा पूर्ण भुगतान पर करेगें। परिस्थिति के अनुसार विक्रेता प्रतिष्ठान अथवा लाभुक कृषक को अनुदान जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा मेला परिसर में ही किया जाना है।

7.4 भुगतान प्रक्रिया

1. मिला में प्रतिभागी प्रतिष्ठानों से विक्रय किये गये कृषि यंत्रों का अनुदान दावा का भुगतान प्राप्त अभिलेख तथा अभिश्रवों के सत्यापन के उपरांत किया जाना है।
2. कृषकों से सीधे प्राप्त अभिश्रवों की स्थिति में लाभार्थी को शत्–प्रतिशत राशि का भुगतान मेला में किया जाना है।
3. दावा भुगतान अनिवार्य रूप से लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना है।
4. कृषकों के द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन विहित प्रपत्र परिशिष्ट–8 में किसान सलाहकार/विषय वस्तु विशेषज्ञ/प्रखंड कृषि पदाधिकारी से अनिवार्य रूप से कराया जाना है।

7.5 अनुमान्य कृषि यंत्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान की अधिकतम राशि उल्लिखित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2011–12 की कार्य योजना में पौधा संरक्षण यंत्रों के वितरण हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध कृषकों के माँग के आधार पर नैपसेक स्प्रेयर/रॉकिंग स्प्रेयर की अनुदान अधिसीमा कम रहने के कारण भौतिक उपलब्धि अधिक संभावित है परन्तु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अधीन ही उपलब्धि हासिल की जायेगी।

7.5.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि अनुमान्य है।

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	केन्द्रांश (रू0 में)	राज्यांश (रू0 में)	अनुदान की कुल अधिसीमा
1	कोनोवीडर	800.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 800.00 दोनों में जो कम हो।
2	मार्कर	500.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 500.00 दोनों में जो कम हो।
3	नेप सेक स्प्रेयर / डस्टर (मानव चालित)	800.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 800.00 दोनों में जो कम हो।
4	रॉकिंग टाइप स्प्रेयर (मानव चालित)	1,600.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 1,600.00 दोनों में जो कम हो।
5	पावर स्प्रेयर (शक्ति चालित)	3,000.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 3,000.00 दोनों में जो कम हो।
6	डीजल पम्प सेट (10 एच0पी0 तक)	10,000.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 10,000.00 दोनों में जो कम हो।
7	पावर वीडर	15,000.00	15,000.00	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 20,000.00 दोनों में जो कम हो।
8	जीरो टिल सीड ड्रील	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
9	सीड ड्रील	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
10	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
11	रोटावेटर	30,000.00	10,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
12	लेजर लैंड लेवलर	1,50,000.00	1,00,000.00	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 2,50,000.00 दोनों में जो कम हो।

7.5.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– गेहूँ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि अनुमान्य है।

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	केन्द्रांश (रू0 में)	राज्यांश (रू0 में)	कुल अनुदान की अधिसीमा (रू0 में)
1	नेप सेक स्प्रेयर / डस्टर (मानव चालित)	800.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 800.00 दोनों में जो कम हो।
2	रॉकिंग टाइप स्प्रेयर (मानव चालित)	1,600.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 1,600.00 दोनों में जो कम हो।
3	पावर स्प्रेयर (शक्ति चालित)	3,000.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 3,000.00 दोनों में जो कम हो।
4	डीजल पम्प सेट (10 एच0पी0 तक)	10,000.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 10,000.00 दोनों में जो कम हो।
5	जीरो टिल सीड ड्रील	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
6	सीड ड्रील	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
7	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
8	रोटावेटर	30,000.00	10,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।

7.5.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—दलहन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—दलहन के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि अनुमान्य है।

क्र0 सं0	यंत्र का नाम	केन्द्रांश (रू0 में)	राज्यांश (रू0 में)	कुल अनुदान की अधिसीमा (रू0 में)
1	नेप सेक स्प्रेयर/डस्टर (मानव चालित)	800.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 800.00 दोनों में जो कम हो।
2	रॉकिग टाइप स्प्रेयर (मानव चालित)	1,600.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 1,600.00 दोनों में जो कम हो।
3	पावर स्प्रेयर (शक्ति चालित)	3,000.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 3,000.00 दोनों में जो कम हो।
4	डीजल पम्प सेट (10 एच0पी0 तक)	10,000.00	0	मूल्य का 50% अधिकतम रू0 10,000.00 दोनों में जो कम हो।
5	जीरो टिल सीड ड्रील	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
6	सीड ड्रील	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
7	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	15,000.00	25,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।
8	रोटावेटर	30,000.00	10,000.00	मूल्य का 80% अधिकतम रू0 40,000.00 दोनों में जो कम हो।

7.6 प्रचार—प्रसार

कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाना है। इसके लिये विभिन्न अवसरों पर आयोजित मेला में तथा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषि यंत्रों के उपयोग उसके लाभ तथा अनुदान के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जानी है। समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं रेडियों के माध्यम से व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाना है।

7.7 अभिलेख का संधारण

इस योजना अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के लाभान्वितों का कोटिवार/प्रखंडवार/पंचायतवार/यंत्रवार विवरण अंकित करते हुये सूची सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र परिशिष्ट—17 में संधारित की जानी है तथा इसको जिला स्तर पर सुरक्षित रखा जाना है।

अध्याय–8

8.0 फसल सुरक्षा प्रबंधन कार्यक्रम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत धान एवं दलहनी फसलों के प्रमुख कीट एवं व्याधियों से सुरक्षा हेतु अनुदानित दर पर जैव एवं रसायनिक कीटनाशी को कृषकों को उपलब्ध कराया जाना है। आवश्यकता के अनुसार फसल सुरक्षा उपायों को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) **सामान्य अवस्था** : इस अवस्था में क्षति कारक कीटों की संख्या तथा रोगकारक की तीव्रता आर्थिक क्षति स्तर से कम अथवा मध्यम रहने पर सुरक्षात्मक वे उपाय अनुमान्य हैं जिनके प्रयोग से रोगकारक एवं हानिकारक कीटों की संख्या नियंत्रित रहती है तथा वातावरण में प्रदूषण कम होता है। इस अवस्था के लिये समेकित कीट प्रबंधन जिसमें बीजोपचार से लेकर जैविक कीटनाशी तथा हल्के कीटनाशी रसायन के प्रयोग से फसल सुरक्षा की जा सकती है।

(ख) **क्रांतिक अवस्था** : इस अवस्था में क्षति कारक कीटों तथा रोग कारकों की तीव्रता आर्थिक क्षति स्तर पार कर जाती है जिसके कारण फसलों की अधिक क्षति हो जाती है। इस अवस्था में कीट एवं रोग कारक को उपयुक्त रसायनिक कीटनाशी की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। ऐसी अवस्था के निराकरण के लिए कृषकों को अनुदानित दर पर रसायनिक कीटनाशी का वितरित किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं दलहन अन्तर्गत इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं।

1. इस कार्यक्रम के लिये निर्धारित लक्ष्य को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार विखंडित किया जाना है।
2. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले के अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशी विक्रेता प्रतिष्ठानों का चयन किया जाना है। इन चिन्हित प्रतिष्ठानों से मानक फसल सुरक्षा उपादानों यथा फरोमॉन ट्रैप ल्यूर के साथ, जैव कीटनाशी, रसायनिक कीटनाशी आदि को अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है।
3. चावल एवं दलहनी फसलों में कीट व्याधियों के संक्रमण के आधार पर कीटनाशी रसायनों कें व्यवहार के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ वैज्ञानिक तथा कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी के दल से उपयुक्त कीटनाशी रसायनों की अनुशंसा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कराया जाना आवश्यक है।
4. चावल एवं दलहनी फसलों में कीट एवं व्याधि की तीव्रता का आकलन जिला पेस्ट सर्वेलेन्स समिति के माध्यम से किया जाना है।
5. प्रत्येक कीट–व्याधि के लिए अनुशंसित कीटनाशियों को ही कार्यक्रम में अनुदानित दर पर विक्रय हेतु चिन्हित किया जाना है।
6. जिला हेतु इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु तैयार कार्य योजना का अनुमोदन जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से किया जाना है।

8.1 फसल सुरक्षा हेतू उपादान का निर्धारण

1. क्षेत्र विशेष एवं फसलों की विभिन्न अवस्थाओं में कीट एवं व्याधियों की तीव्रता अलग–अलग समय में भिन्न–भिन्न पायी जाती है। धान एवं दलहनी फसलों में आर्थिक क्षति पहुँचाने वाले प्रमुख कीट एवं रोग तथा उसके संक्रमण काल का विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है।
2. अनुशंसित कीटनाशी की उपलब्धता तथा इसके अनुदानित दर पर विक्रय हेतु चिन्हित विक्रेताओं को आवश्यक आदेश जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाना है।

8.2 कृषक की पात्रता

1. इच्छुक कृषक जो अनुदान के अन्तर्गत अच्छादित फसल की खेती करते हैं अनुदानित दर पर फसल सुरक्षा प्रबंधन के निमित्त उपादान प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।
2. अनुदानित दर पर उपादान प्राप्त करने हेतु कृषक अपने पहचान पत्र की प्रति (मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र) अथवा त्रिस्तरीय पंचायत समिति के किसी भी सदस्य के अनुशंसा पत्र पर प्राप्त कर सकेंगे।
3. पहचान पत्र की छाया प्रति चिन्हित कीटनाशी विक्रेता प्रतिष्ठानों द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा जिसका उपयोग विपत्र के सत्यापन के समय सत्यापन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
4. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य का **17% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** के कल्याणार्थ राशि आरक्षित है। **लघु/सीमान्त/महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33%** सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
5. कृषकों को यह अनुदान सहायता मात्र पॉच हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रयोग हेतु मात्र एक बार उपलब्ध हो सकेगा।

8.3 प्रतिष्ठान/विक्रेता का चयन

1. फसल सुरक्षा के लिये कीटनाशी उपादानों की आपूर्ति करने वाले ISO प्रमाणित प्रतिष्ठित कंपनियों/प्रतिष्ठानों जिनकी अनुज्ञप्ति राज्य में विपणन हेतु निर्गत है उनके मानक उत्पाद को अनुदानित दर पर वितरण हेतु चयनित किया जाना है।
2. राज्य में अधिसूचित प्रतिष्ठानों के जिला के अधिकृत विक्रेताओं को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया जाना है।
3. चिन्हित किये गये विक्रेता प्रतिष्ठानों का जिला में विपणन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त होना अनिवार्य है।

8.4 वितरण व्यवस्था

1. जिला कृषि पदाधिकारी चिन्हित प्रतिष्ठानों को प्रखंडों से सम्बद्ध करेंगे तथा प्रखंडवार विखंडित लक्ष्य के अनुसार अनुदानित दर पर वितरण हेतु समुचित आदेश निर्गत करेंगे जिसमें उपादानों का दर, कृषक को वितरण हेतु अधिकतम मात्रा, फलैक्सी बोर्ड लगाने, स्टॉक की उपलब्धता तथा इसके लिए पंजी आदि संधारित करने हेतु स्पष्ट निदेश देगें। अनुदान वितरण का कार्यक्रम निर्धारित अवधि तक चलेगा। इस अवधि का निर्धारण जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है।
2. विक्रेता प्रतिष्ठानों के स्तर पर प्रखंडवार वितरण पंजी संधारित की जानी है जिसमें लाभार्थी कृषक का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता अंकित करते हुये अनुदानित दर पर वितरित उपादान की मात्रा तथा मूल्य की प्रविष्टि की जानी है। पंजी में लाभुक कृषक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लिया जाना अनिवार्य है।
3. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वितरण व्यवस्था के निगरानी हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को विक्रेता प्रतिष्ठानवार सम्बद्ध किया जाना है। सम्बद्ध किये गये पदाधिकारी द्वारा वितरण पंजी तथा भंडार पंजी में उपलब्ध उपादानों की मात्रा का सत्यापन किया जाना है।
4. सम्बद्ध किये गये पदाधिकारी द्वारा वितरण की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को कार्यक्रम की अवधि तक प्रतिदिन उपलब्ध करायी जानी है।

8.5 गुण नियंत्रण

1. जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से कीटनाशी उपादानों का नमूना संग्रह कर राज्य कीटनाशी विशलेषण प्रयोगशाला से विश्लेषण कराकर गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।
2. उपादानों के अमानक पाये जाने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम की उपयुक्त धारा के अधीन समुचित कर्रवाई जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जानी है।

8.6 भुगतान प्रक्रिया

1. चिन्हित प्रतिष्ठानों द्वारा उपादान वितरण के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में भुगतान हेतु आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष दावा समर्पित किया जाना है।
2. जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान भुगतान संबंधी अभिलेख तथा अभिश्रव के सत्यापन के उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान विक्रेता प्रतिष्ठान को एक सप्ताह में किया जाना है तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान लाभार्थीयों के 5 प्रतिशत रेन्डम जाँच के भौतिक सत्यापन के सही पाये जाने के उपरांत किया जाना है।
3. दावा भुगतान अनिवार्य रूप से लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना है।

8.7 अनुदान की अनुमान्य राशि

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत फसल सुरक्षा हेतु कीटनाशी रसायन के क्रय पर अनुदान का लाभ मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 500.00 रूपये प्रति हेक्टेयर दोनों में से जो कम हो, अनुमान्य है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत समेकित कीट प्रबंधन के लिये फेरोमॉन ट्रैप ल्यूर के साथ, जैव कीटनाशी के समुचित व्यवहार के लिये उपादानों के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 750.00 रूपये प्रति हेक्टेयर दोनों में से जो कम होगा अनुदान अनुमान्य है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन अन्तर्गत फसल सुरक्षा हेतु कीटनाशी रसायन तथा खरपतवारनाशी रसायन के क्रय पर अनुदान का लाभ मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 500.00 रूपये प्रति हेक्टेयर दोनों में से जो कम हो, अनुमान्य है।
4. एक किसान को केवल एक बार अधिकतम पाँच हे0 के लिए अनुदानित दर पर फसल सुरक्षा उपादान अनुमान्य होगा।

8.8 कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार लीफ लेट, पम्फलेट आदि के माध्यम से किया जाना है।

8.8 अभिलेख का संधारण

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों की वर्गीकरणवार प्रखंडवार/पंचायतवार सूची सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र परिशिष्ट–16 में संधारित की जानी है तथा इसको जिला स्तर पर सुरक्षित रखा जाना है।

अध्याय–9

9.0 लोकल इनिसिएटीव कार्यक्रम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2010–11 में लोकल इनिसिएटिव मिजर्स अन्तर्गत कार्यक्रम स्वीकृत होने के उपरांत कार्यानुदेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्याय–10

10.0 परियोजना प्रबंधन दल का गठन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत राज्य एवं जिला परियोजना प्रबंधन दल के गठन तथा इसमें नियोजन की कार्रवाई हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं।

1. भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में इस योजना अन्तर्गत कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालन एवं प्रभावी ढ़ंग से अनुश्रवण करने के उद्देश्य से जिलास्तर पर जिलास्तरीय परियोजना प्रबंधन दल का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए प्रधान सचिव, कृषि विभाग (पत्रांक–रा0 खा0 सु0 मि0 को0–04/2008– 860 (सचिवा0) दिनांक 12.02.2008) के स्तर से गठन हेतु आदेश भी निर्गत हुआ है (रा0कृ0सु0मि0को0–52/2008, पृ0 सं0 2–1)। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
2. जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय परामर्शी एवं तकनीकी सहायकों के पद पर नियोजन के लिए आदर्श रोस्टर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप नियोजन की कार्रवाई करावेगें। नियोजन की प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :–

I.	जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी	अध्यक्ष
II.	परियोजना निदेशक, आत्मा/कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी	सदस्य
III.	प्रभारी, जिला सूचना केन्द्र (तकनीकी सहायक की नियुक्ति के निमित्त)	सदस्य
IV.	जिला कृषि पदाधिकारी	पदेन सचिव

3. नियोजन हेतु राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से पदधारी के लिए शैक्षणिक अहर्ताएँ एवं अनुभव की पूर्ण विवरणी एवं अन्य सूचनाओं के साथ विज्ञापन प्रकाशित कर एक निर्धारित तिथि एवं समय के लिए आमंत्रित किये जायेंगे।
4. नियोजन हेतु लिखित/साक्षात्कार की प्रक्रिया अपने स्तर से निर्धारित करावेगें।
5. उक्त नियोजन हेतु निविदा प्रकाशन परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार होगा।
6. यह नियुक्ति छः महीने के लिए पूर्णतः अस्थायी एवं संविदा पर आधारित होगी। नियोजन पदधारी की सेवा किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
7. नियोजन संबंधी कार्रवाई अभी तक जिन जिलों में पूर्ण नहीं अविलम्ब सम्पन्न कराने की कार्रवाई की जानी है।

10.1 राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल के नियोजन का स्वरूप

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	मानदेय	आयु सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछनीय योग्यता
1.	राज्य परामर्शी	चावल–2 गेहूँ–2 दलहन–1	01 जून, 2011 से रूपये 30,000.00	नियोजन की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष	शष्य विज्ञान/कृषि प्रसार/मृदा विज्ञान/पादप प्रजनन में पी0एच0डी0 तथा फसल उत्पादन/फसल सुधार के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव।	डाटा विश्लेषण तथा परियोजना तैयार करने/प्रतिवेदन लिखने/सेमिनार टिप्पणी लिखने की क्षमता, साक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हो। टीम नेतृत्व की क्षमता।
2.	वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक	चावल–2 गेहूँ–2 दलहन–2	01 जून, 2011 से रूपये 18,000.00	नियोजन की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष	फसल प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ कृषि में मास्टर डिग्री। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य।	अनुसंधान एवं प्रसार में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

10.2 जिला स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल के नियोजन का स्वरूप

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	मानदेय	आयु सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछनीय योग्यता
1.	जिला परामर्शी	चावल–1 गेहूँ–1 दलहन–1	01 जून, 2011 से रूपये 20,000.00	नियोजन की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष	कृषि विज्ञान में स्नातक के साथ शष्य विज्ञान /कृषि विस्तार/मृदा विज्ञान/ फसल सुधार में मास्टर डिग्री	कृषि उत्पादन/ कृषि प्रसार सेवा में कम से कम 10 वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव एवं दल नेतृत्व की क्षमता।
2.	तकनीकी सहायक	चावल–4 गेहूँ–4 दलहन–2	01 जून, 2011 से रूपये 15,000.00	नियोजन की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष	कृषि विज्ञान में स्नातक तथा कम्प्यूटर ज्ञान की क्षमता। (M.S. Word, M.S. Excel, Internet, Power Point)	अनुसंधान एवं प्रसार कार्यों में अनुभव को प्राथमिता

अध्याय–11

11.0 वित्तीय प्रबंधन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत वित्तीय प्रबंधन हेतु निम्नांकित अनुदेश हैं।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेन्सी के रूप में ''बामेति'' एवं जिला स्तर पर नोडल एजेन्सी के रूप में ''आत्मा'' कार्य करेगा।

   (कृषि विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं0–पी0पी0एम0–5100 (सचिवा0) दिनांक 12.10.2007)
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, बिहार तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होगें।

   (कृषि विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं0–पी0पी0एम0–5100 (सचिवा0) दिनांक 12.10.2007)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत मात्र एक S/B एकाउन्ट खोला जायेगा जिसका संचालन परियोजना निदेशक, आत्मा एवं जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

   (विभागीय आदेश ज्ञापांक–2976 दिनांक 30.04.2008)
4. जिला कृषि पदाधिकारी जो जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा के भी प्रभार में हैं, उन जिलों में बैंक खाता के संचालन हेतु जिला में पदस्थापित उनके दूसरे अधीनस्थ पदाधिकारी को नामित कर कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक को प्रस्ताव देगे। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक के अनुमोदनोपरान्त उक्त पदाधिकारी संयुक्त लेखा संचालन हेतु प्राधिकृत समझे जायेंगे।

   (विभागीय आदेश ज्ञापांक–2976 दिनांक 30.04.2008)
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश की राशि अलग खाते में संचित किया जाना है। इस राशि के आय–व्यय हेतु अलग रोकड़ बही संधारित की जानी है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी इसके लिये अलग से समर्पित किया जाना है।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत राज्य एवं जिला कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा वित्तीय प्रबंधन हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
   - (क) योजना में उपलब्ध आवंटन अथवा अवशेष राशि का Reconciliation प्रत्येक सप्ताह कर ली जाय।
   - (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए अलग चेक–बुक, निर्गत पंजी आदि संधारित की जाय।
   - (ग) भुगतान हेतु प्राप्त अभिश्रवों की सूक्ष्मता से जाँच कर ली जाय तथा यह आश्वस्त हो लिया जाय कि प्राप्त अभिश्रव कार्यालय आदेश अथवा स्वीकृत्यादेश के आलोक में है। व्यय एवं भुगतान के पूर्व प्री–ऑडिट का कार्य किया जाय। इसके लिए एकाउन्टेन्ट की सेवा ली जाय।
   - (घ) भुगतान के पूर्व अभिश्रवों में की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जाँच कर ली जाय।
   - (ङ.) भुगतान हेतु दावे की रकम एवं योजना अन्तर्गत अवशेष रकम की जाँच कर ली जाय। तद्नोपरान्त ही चेक निर्गत किया जाय।
   - (च) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत लाभार्थियों के दावे का भुगतान केवल रेखांकित चेक अथवा बैंक अन्तरण के माध्यम से किया जाय।
   - (छ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए प्राप्त राशि के संधारण हेतु भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खाता खोली जाय।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए रोकड़ बही अलग संधारित किया जाय एवं डबल–इन्ट्री पद्धति अपनाकर रोकड़ बही का संचालन किया जाय।
8. इस योजना के लिए प्राप्त अभिश्रवों को वर्षवार अलग–अलग रक्षी संचिका में सुरक्षित रखा जाय।
9. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची अलग संधारित की जाय एवं लाभार्थियों की सूची प्रकाशित कराकर योजना वर्ष के उपरान्त सार्वजनिक की जाय।
10. भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की मार्गदर्शिका की कंडिका–4.9 के आलोक में निबंधित चारटर्ड एकाउन्टेन्ट से वार्षिक आडिट कराया जाना है तथा प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाना है। इसके लिए बामेति द्वारा अनुबंध पर योग्य चारटर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवा ली जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष समेकित रूप से लेखा प्रशिक्षण कराया जायेगा।

अध्याय–12

12.0 प्रचार–प्रसार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निम्नांकित कार्यान्वयन अनुदेश हैं।

12.1 राज्य स्तर पर प्रचार–प्रसार

1. बिहार विज्ञापन नीति 2008 के तहत उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय प्रचार–प्रसार कार्यों के लिए नोडल पदाधिकारी नामित हैं।
2. इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर प्रकाशित होने वाली प्रिंट के माध्यम से विज्ञापन सामग्रियाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग द्वारा तैयार किया जायेगा।
3. तैयार किये गये विज्ञापन प्रारूप की एडिटिंग आदि का कार्य उप कृषि निदेशक (सूचना) द्वारा निष्पादित किया जायेगा तथा इसके अनुमोदन की कार्रवाई उन्हीं के द्वारा की जायेगी एवं इस कार्य हेतु व्यय इस योजनान्तर्गत उनके कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी राशि से की जायेगी।
4. प्रकाशित प्रिंट सामग्री के अभिश्रवों के भुगतान की कार्रवाई सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्राप्त अभिश्रवों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग द्वारा किया जायेगा।
5. रेडियों एवं टी0वी0 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु विभाग द्वारा चिन्हित किये गये प्रतिष्ठानों के माध्यम से ऑडियो– विजुअल स्पॉट उप कृषि निदेशक (सूचना) द्वारा तैयार किया जायेगा।
6. विभाग द्वारा अनुमोदित रेडियो एवं टी0वी0 हेतु स्पॉट का प्रसारण उप कृषि निदेशक (सूचना) के माध्यम से प्रसारण चैनलों द्वारा कराया जाना है।
7. प्रसारण हेतु अधिकतम 30 सेकेन्ड के स्लॉट के प्रसारण–शुल्क की राशि का भुगतान सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्राप्त अभिश्रव के आधार पर इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध राशि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा किया जायेगा।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिये तैयार मार्गदर्शिका एवं प्रसार–सामग्री के लिए पुस्तिका आदि का मुद्रण भी उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से किया जायेगा।

12.2 जिला स्तर पर प्रचार–प्रसार

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रचार–प्रसार एवं क्रियेटिव विकास जिला कार्यान्वयन एजेन्सीज के माध्यम से उन्हें उपलब्ध निधि के आधार पर किया जाना है।
2. जिला कार्यान्वयन एजेन्सी प्रचार–प्रसार कार्य के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर डी0एफ0एस0एम0 (जिला कार्यकारिणी समिति) से ससमय अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित कराया जाना है।
3. जिला कृषि पदाधिकारी, क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध Creatives, कम्फेड की तर्ज पर दीवाल संदेश या अन्य माध्यम से स्थानीय भाषा में प्रचार–प्रसार करावेगें।

परिशिष्ट–1
धान फसल के हानिकारक कीट

क्र0 सं0	कीट का नाम	संक्रमण काल
1	हरा फुदका (*Nephotettix viresens*)	जुलाई से सितम्बर
2	भुरा फुदका (*Nilaparvata lugnes*)	जुलाई से अक्टूबर
3	हिस्पा (*Dicladispo armigera*)	जुलाई से सितम्बर
4	तना छेदक (*Scirpophaga incertulus*)	जुलाई से सितम्बर (खरीफ) मार्च से अप्रैल (बोरो)
5	पत्र लपेटक (*Cnaphalocrisis medinalis*)	रोपनी की अवस्था से गाभा निकलने तक
6	दहिया (*Ripersia oryzae*)	जुलाई से सितम्बर
7	गंधी बग (*Leptocorisa varicornis*)	सितम्बर से दिसम्बर
8	सैनिक कीट (*Spodoptera mauritia*)	सितम्बर से नवम्बर
9	दीमक (*Odontotermus spp.*)	

धान फसल के प्रमुख रोग

क्र0 सं0	रोग का नाम एवं वैज्ञानिक नाम	संक्रमण काल
1	बैक्टेरियल लीफ ब्लाइट (*Xanthomonas compestries* pv. oryzae)	अगस्त से नवम्बर
2	बैक्टेरियल लीफ स्ट्रीक (*Xanthomonas translucent* pv. oryzicola)	पौधशाला से गाभा निकलने की अवस्था तक।
3	शीथ ब्लाइट (*Rhizoctonia solani*)	जुलाई से सितम्बर
4	फुट रोट (जड़ विगलन) (*Fusarum moniliforme*)	जुलाई से सितम्बर
5	ब्राउन स्पॉट (भूरी चित्ती) (*Helminthosporium oryzae*)	जुलाई से सितम्बर
6	ब्लास्ट (बदरा) (*Pyricularia oryzae*)	जुलाई से सितम्बर
7	फॉल्स स्मट (*Ustilagenoidea virens*)	गाभा निकलने से दूध भरने की अवस्था तक।

अऱहर फसल के हानिकारक कीट एवं निमेटोड

क्र0 सं0	कीट का नाम	संक्रमण काल
1	फली छेदक *(Helicoverpa armigera, Etiella zinckenella)*	दिसम्बर से मार्च
2	कजरा पिल्लू *(Agrotis ipsilon)*	अक्टूबर से दिसम्बर
3	माहूँ *(Aphis craccivora, Empoasca kerri)*	अक्टूबर से दिसम्बर
4	प्लम मॉथ*(Exelasts atamosa)*	दिसम्बर से जनवरी
5	तुरपॉड बग *(Clavigralla givvosa)*	दिसम्बर से जनवरी
6	निमेटोड *(Heterodora cajani)*	वुआई से 45 दिन तक अक्टूबर से दिसम्बर

अरहर फसल के प्रमुख रोग

क्र0 सं0	रोग का नाम	संक्रमण काल
1	उकठा रोग *(Fusarium sp. , Sclerofium sp. / Ozonium texamum var. parasiticum, Thielaviopsis sp., Macrophomina phaseolina, Phytophthora dreschsleri // P. megasperma/, Sclerotinia trifolium,)*	वुआई से 45 दिन तक
2	स्कोकाइटा ब्लाइट *(Ascochyta rabiei)*	अक्टूबर से दिसम्बर
3	लीफ स्पोट (*cercospora cajani*)	अक्टूबर से दिसम्बर

चना फसल के हानिकारक कीट एवं निमेटोड

क्र0 सं0	कीट का नाम	संक्रमण काल
1	कजरा पिल्लू *(Agrotis ipsilon)*	अक्टूबर से दिसम्बर
2	लुसर्न कैटरपीलर (*Autographa nigrisigna*)	दिसम्बर से मार्च
3	फली छेदक *(Helicoverpa armigera)*	दिसम्बर से मार्च
4	निमेटोड *(Rotylenchus reniformis, Meloidogyne arenaria / M. artiellia/ M. incognita/ M. javanica, Meloidogyne arenaria/ M. artiellia/ M. incognita/ M. javanica)*	वुआई से 45 दिन तक अक्टूबर से दिसम्बर

चना फसल के प्रमुख रोग

क्र0 सं0	रोग का नाम	संक्रमण काल
1	रूट रॉट *(Fusarium sp. , Sclerofium sp. / Ozonium texamum var. parasiticum, Thielaviopsis sp., Macrophomina phaseolina, Sclerotinia trifolium)*	वुआई से 45 दिन तक
2	स्कोकाइटा ब्लाइट *(Ascochyta rabiei)*	अक्टूबर से दिसम्बर

मटर फसल के हानिकारक कीट एवं निमेटोड

क्र0 सं0	कीट का नाम	संक्रमण काल
1	फली छेदक (*Helicoverpa armigera*)	दिसम्बर से मार्च
2	कजरा पिल्लू (*Spodoptera litura*)	अक्टूबर से मार्च
3	लीफ माइनर (*Phytomyza articornis*)	दिसम्बर से मार्च
4	एफीड (*Acrithosiphone pisi*)	दिसम्बर से मार्च
5	स्टेम फ्लाई (*Ophiomyai phaseoli*)	दिसम्बर से मार्च
6	एफीड (*Acrithosiphone pisi*)	दिसम्बर से मार्च
7	स्टेम फ्लाई (*Ophiomyai phaseoli*)	दिसम्बर से मार्च
8	लीफ माइनर (*Phytomyza articornis*)	दिसम्बर से मार्च
9	निमेटोड (*Heterodora goettingiana, Pratylenchus sp. Meloidogyne incognita*)	वुआई से 45 दिन तक अक्टूबर से दिसम्बर

मटर फसल के प्रमुख रोग

क्र0 सं0	रोग का नाम	संक्रमण काल
1	राइजोक्टोनिया सीडलींग रोट/ रुट रोट (*Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotium, Thielaviopsis basicola*)	वुआई से 45 दिन तक अक्टूबर से दिसम्बर
2	स्कोकाइटा ब्लाइट (Ascochyta pinodus)	दिसम्बर से मार्च
3	ग्रे मोल्ड (*Botrytis cineria*)	दिसम्बर से मार्च
4	पावडरी मिल्ड्यू (*Erisiphae pisi*)	जनवरी से मार्च
5	रस्ट (*Uromyses favae*)	दिसम्बर से फरवरी

मसूर फसल के हानिकारक कीट एवं निमेटोड

क्र0 सं0	कीट का नाम	संक्रमण काल
1	कजरा पिल्लू (*Spodoptera litura*)	अक्टूबर से नवम्बर
2	कट वार्म (*Agrotis ipsilon*)	अक्टूबर से नवम्बर
3	सूँडी (*Sitona macularis*)	अक्टूबर से नवम्बर
4	एफीड/ थ्रीप्स	अक्टूबर से नवम्बर
5	निमेटोड (*Heterodora ciceri, Rotylenchus reniformis, Meloidogyne incognita, Pratylenchus sp, Ditylenchus dipsaci*)	अक्टूबर से नवम्बर

मसूर फसल के प्रमुख रोग

क्र0 सं0	रोग का नाम	संक्रमण काल
1	स्कोकाइटा ब्लाइट *(Ascochyta favae)*	अक्टूबर से नवम्बर
2	एन्थ्रेकनोज *(Colletotrichum lindemuthianum)*	अक्टूबर से नवम्बर
3	ग्रे मोल्ड *(Botrytis cinerea)*	अक्टूबर से नवम्बर
4	अमरलता परजीविता (*Cascuta sp.*)	अक्टूबर से जनवरी

मूंग/उड़द फसलों के हानिकारक कीट एवं निमेटोड

क्र0 सं0	कीट का नाम	संक्रमण काल
1	चना कैटर पीलर *(Helicoverpa armigera)*	मार्च से अप्रैल
2	तम्बाकू का कैटर पीलर *(Spodoptera litura)*	फरवरी से मार्च
3	ब्लीस्टर विटिल *(Mylabris pustula)*	मार्च से अप्रैल
4	स्पोटेड पोड बोरार *(Muraca testulalis)*	मार्च से अप्रैल
5	थ्रीप्स *(Anaplocnemis phasiana)*	मार्च से अप्रैल
6	सफेद मक्खी *(Bemissia tabaci)*	मार्च से अप्रैल
7	निमेटोड*(Heterodora ciceri, Heterodora ciceri, Meloidogyne incognita, Pratylenchus sp., Ditylenchus dipsaci)*	बुआई से 45 दिन तक अक्टूबर से दिसम्बर

मूंग/उड़द फसलों के प्रमुख रोग

क्र0 सं0	रोग का नाम	संक्रमण काल
1	अल्टरनारिया लीफ स्पोट *(Alternaria alternata)*	मार्च से अप्रैल
2	एन्थ्रेकनोज *(Colletotrichum lindamuthianum)*	फरवरी से मार्च
3	कोरीनेसपोरा लीफ स्पोट *(Corinespora cassicola)*	मार्च से अप्रैल
4	मेक्रोफोमिना ब्लाइट *(Macrophomina phaseolina)*	मार्च से अप्रैल
5	रूट रोट या लीफ ब्लाईट *(Rhizoctonia solani)*	मार्च से अप्रैल
6	सीड एवं सीडलींग रोट *(Rhizoctonia solani/ Macrophominaeolina/ Pythium aphanidermatum/ Sclerotium rolfsii)*	मार्च से अप्रैल
7	रस्ट *(Uromyces phaseoli)*	मार्च से अप्रैल
8	पावडरी मिल्ड्यू *(Erisiphae poligone)*	फरवरी से मार्च

मूंग/उड़द फसलों के हानिकारक वायरस

क्र0 सं0	वायरस का नाम	संक्रमण काल
1	मूंग यलो मोजैक वाइरस	मार्च से अप्रैल
2	लीफ कर्ल वाइरस	

परिशिष्ट–2

Government of Bihar

Office of The District Magistrate,-----------------

National Food Security Mission

NOTICE

Appointment on Contractual Basis

Office of the District Magistrate, --------------------------------, invites eligible candidates for the post of **CONSULTANT** and **TECHNICAL ASSISTANT** for District Level Project Management Team under National Food Security Mission in the Department of Agriculture, Bihar on contract basis. The said post is purely contractual.

Sl. No	Post	NFSM-RICE	NFSM-WHEAT	NFSM-PULSE	TOTAL	AGE	ESSENTIAL QUALIFICATION	DESIRABILITY
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Consultant					Max 65 Year	Basic degree in Agriculture with Masters Degree in Agronomy/Agri. Extension/Soil Science/Crop Management.	1. At least 10 yrs of field experience in crop production in the field of Agril. Extension Services. 2. The candidate should have the ability of team leadership & motivation.
2	Tech. Assistant					Age norms fixed by the State Govt.	Basic degree in Agriculture with computer skills (MS Word, MS Excel, Power Point, Internet)	Candidate with experience of Research & Extension will be given preferance.

Venue, Date & Time of written test :-

Place, Date & Time of interview :-

1. Candidate should submite the attested copies of all educational & relevent documents up to -------------------------in the office of --------------------------.
2. Candidate should attend with all educational and other relevant certificates in original for screening purposes on-----------------------at---------------------venue place.
3. The Candidate will have to appear in the written test held on ------------------------------at-------------venue place.
4. After qualifying the written test the condidate/condidates will be permitted to appear in the interview.
5. In case of Technical Assistant appointment roster norms fixed by the state government will be followed.
6. Contract will be only for six months period which may be renewed.
7. The Appointment is purely temporary and contractual basis whose services may be terminated any time without any prior intimation.
8. T.A./D.A. will not be admissible for attending the Written test & Interview.

District Magistrate,…………….

परिशिष्ट–3

अनुदानित दर पर उपादान वितरण हेतु सूचनाओं को संधारित करने का प्रारूप

जिला का नाम : प्रतिष्ठान का नाम :

प्रखंड का नाम : फसल का नाम : वर्ष : 2011–12

क्र0 सं0	लाभार्थी कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	पंचायत	श्रेणी (अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अल्पसं0 / महिला / अन्य)	सिमान्त / लघु / अन्य	अनुदान का अनुमान्य दर	वितरित उपादान की मात्रा (कि0ग्रा0)	अनुदान की राशि	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
कुल योग										

सत्यापन पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट–4

अनुदानित दर पर उपादान विक्रेता के लिए कैश मेमो का प्रारूप

विपत्र सं0 :–

फर्म का नाम एवं पता

किसान का नाम :–.. TIN No..............

पताः ग्राम.......................................पंचायत................................ VAT No ....

दिनांक.........................

क्र0 सं0	उपादान का नाम	कम्पनी का नाम	मात्रा	दर	कुल कीमत	अनुदान की राशि	शेष राशि

किसान का हस्ताक्षर विक्रेता का हस्ताक्षर एवं मुहर

नोट :– (क) विपत्र तीन कॉपी में होगा। प्रथम विपत्र समेकित विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ख) विक्रेता अपना कुल विपत्र के साथ एक समेकित विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगें

परिशिष्ट–5

अनुदान दावा भुगतान हेतु प्रारूप

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :

TIN No :……………………

VAT No :…………………..

फोन नं0…………………………

योजना का नाम : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2011–12 (चावल/गेहूँ/दलहन)

क्रं0 सं0	दिनांक	विपत्र का नं0	किसान का नाम	ग्राम	पंचायत	उपादान का नाम	मात्रा	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्त राशि
1										
2										
3										
4										
5										
कुल										

कुल प्राप्त राशि……………………….रू0/ (शब्दों में………………………………………………………………)।

कुल अनुदान की राशि…………….रू0/ (शब्दों में………………………………………………………………)।

जिला कृषि पदाधिकारी
अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

विक्रेता का हस्ताक्षर
एवं मुहर

परिशिष्ट–6

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2011–12

आवेदन का क्रमांक...................... दिनांक .... (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. किसान का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. ग्राम ...., डाकघर ...., पंचायत .... प्रखंड..., अनुमंडल.., जिला.. दूरभाष/मोबाईल सं० ....,
4. कृषक श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में √ चिन्ह लगावें)

   अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( ) लघु ( ) सीमान्त ( ) अल्पसंख्यक ( ) महिला ( ) सामान्य ( )
5. उम्र (जन्म तिथि) :
6. पहचान चिन्ह :
7. कृषक के पास उपलब्ध भू–धारिता का विवरण (अद्यतन रसीद की प्रति संलग्न करें)

   खाता सं० खेसरा सं० रकवा (एकड़ में)
8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरण :

   (क) यंत्र का नाम :

   (ख) मेक/मॉडल अथवा ब्रान्ड नाम :

   (ग) यंत्र की अश्व शक्ति :
9. मैं पूरे मूल्य का नगद भुगतान कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ /मैं विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ/मैं बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ। (जो लागू नहीं हों उन्हें काट दें)
10. मेरे द्वारा पूर्व (पूर्ववर्त्ती वर्षो/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र नहीं लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही हैं। अनुदानित दर पर क्रय किये गये कृषि यंत्र का मैं स्वयं उपयोग करूँगा/करूँगी। इसे न तो हस्तांतरित करूँगा/करूँगी और न ही इसे बेचूँगा/बेचूँगी। मैं जानता हूँ कि गलत सूचना के आधार पर सरकारी अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं तिथि

अनुशंसा

मैं आवेदक किसान को जानता हूँ। ये स्वयं कृषि कार्य करते हैं। इन्हें अनुदानित दर पर उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर ये कृषि का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अनुदान पर वांछित कृषि यंत्र कृषक को उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा करता हूँ।

ग्राम पंचायत/नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्राप्ति रसीद

श्री..ग्राम...प्रखंड...

जिला.......................................से अनुदान पर ....(कृषि यंत्र का नाम) के क्रय हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन का क्रमांक ....दिनांक................................ वित्तीय वर्ष .... है।

दिनांक...................................

प्राप्तकर्त्ता का पूरा नाम
पदनाम एवं हस्ताक्षर

....

जाँच प्रतिवेदन का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती.. पिता/पति का नाम ....ग्राम ...., पंचायत .... प्रखंड .... जिला .... के किसान हैं एवं उक्त पते पर रहते हैं।

2. इनके द्वारा आवेदन पत्र में भू–धारिता के संबंध में दिया गया विवरण सही है।

3. इन्हें पूर्व (पूर्ववर्त्ती वर्षो/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में उक्त कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है।

4. इनको...योजना के अन्तर्गत अनुदानित दर पर.. (कृषि यंत्र का नाम) का लाभ दिया जा सकता है।

मैं उक्त कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा अनुमान्य अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

विषय वस्तु विशेषज्ञ का नाम/ हस्ताक्षर एवं तिथि	प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

नोट : विषय वस्तु विशेषज्ञ द्वारा सूचनाओं के साथ कृषक का आवेदन प्राप्त किया जायेगा तथा प्राप्ति रसीद किसान को दी जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी से जाँच/सत्यापन किया जायेगा तदोपरांत जाँच प्रतिवेदन सहित कृषक का आवेदन जिला कृषि कार्यालय में समर्पित किया जायेगा

परिशिष्ट–7
अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु स्वीकृति पत्र का प्रारूप

आवेदक श्री/श्रीमती..
पिता/पति का नाम ....ग्राम ....,पंचायत ....
प्रखंड ...., जिला .... के आवेदन पत्र की जाँच की गई एवं सही पाया गया ।

2. आप .... (कृषि यंत्र का नाम) पर अनुदान की पात्रता रखते हैं। आपके द्वारा उक्त कृषि यंत्र के क्रय करने के उपरांत यंत्र के मूल्य का .... प्रतिशत अधिकतम ....रूपया अनुदान देय है।
3. आपके द्वारा उल्लिखित कृषि यंत्र...योजना के अधीन स्वीकृत किया जाता है।
4. अपनी पसंद के उल्लिखित यंत्र के मेक/मॉडल/अश्व शक्ति का मेला में किसी भी विक्रेता से क्रय करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।
5. कृषि यंत्र का क्रय करने के बाद कैशमेमो अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। क्रय किये गये यंत्र का मेक/मॉडल एवं इंजन सं० कैशमेमो में अनिवार्य रूप से अंकित करावें।
6. अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान क्रय किये गये यंत्र के भौतिक सत्यापन के उपरांत मेला में ही एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

परिशिष्ट–8

कृषि यंत्र के सत्यापन प्रतिवेदन का प्रपत्र

आवेदक श्री/श्रीमती..
पिता/पति का नाम ....ग्राम ...., पंचायत ....प्रखंड ...., जिला .... के द्वारा कृषि यंत्र क्रय किया गया जिसका मेक/मॉडल..................................... तथा इंजन संख्या .... है। कृषि यंत्र का उपयोग किसान द्वारा जुताई/ढुलाई/सिंचाई/ थ्रेसिंग/अन्य कार्य... लिये किया जा रहा है तथा वह संतुष्ट हैं।

किसान का हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान एवं तिथि

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु
विशेषज्ञ/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट–9

श्री विधि धान प्रत्यक्षण के संबंध में सूचना पत्रक का प्रारूप

1. किसान का नाम :
2. पिता का नाम :
3. ग्राम का नाम :
4. पंचायत का नाम :
5. भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) :
6. प्रत्यक्षण का कुल रकबा (एकड़ में) :
7. गैर प्रत्यक्षण का कुल रकबा (एकड़ में) :
8. उपादान प्राप्ति की तिथि :
9. प्राप्त उपादान का विवरण (मात्रा सहित) :
   बीज (प्रभेद के नाम सहित) :
   बीजोपचार हेतु रसायन :
   वर्मी कम्पोस्ट :
   उर्वरक : एन0पी0के0 :
   यूरिया :
   झांझर (हाँ / नहीं) :
   वर्मी कम्पोस्ट / कम्पोस्ट एवं सिंचाई हेतु राशि (रू0 में) :
10. प्रशिक्षण की तिथि :
11. नर्सरी में बीजाई की तिथि :
12. प्रत्यक्षण स्थल में वर्मीकम्पोस्ट / कम्पोस्ट के व्यवहार की तिथि :
13. श्री विधि से रोपनी की तिथि :
14. कोनोवीडर / मार्कर की उपलब्धता (हाँ / नहीं) :
15. नेत्रजन उपरिवेशन की तिथि :
16. पटवन की तिथि :
   प्रथम :..................... द्वितीय :...................... तृतीय :.................. चतुर्थ :..........................
17. पौधा संरक्षण का विवरण :
   फेरोमॉन ट्रैप का उपयोग (हाँ / नहीं) :
   जैव कीटनाशी का प्रयोग (हाँ / नहीं) :
   रसायनिक कीटनाशी का प्रयोग (हाँ / नहीं) :
   यदि हाँ तो प्रयोग की तिथि एवं कीटनाशी का विवरण :
   प्रथम प्रयोग :
   द्वितीय प्रयोग :
   तृतीय प्रयोग :
18. फसल कटनी की तिथि :
19. फसल कटनी में प्राप्त उपज की मात्रा प्रति हे0 :

मंतव्य :

किसान का हस्ताक्षर   कृषक सलाहकार का हस्ताक्षर   विषय वस्तु विशेषज्ञ का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–10

बीज मिनीकीट प्रत्यक्षण संबंधी विवरण हेतु विहित प्रपत्र

जिला का नाम :.. प्रखंड का नाम :..

1. लाभार्थी कृषक का पूर्ण विवरण :

(i) नाम :...(ii) पिता :...

(iii) ग्राम :..(iv) पंचायत :...

(v) कृषक का श्रेणी : अनु0जा0/अनु0ज0जा0/महिला/अन्य :..

2. प्रत्यक्षण हेतु चयनित प्लौट का विवरण :

(i) प्लॉट नं0 :..(ii) खाता सं0 :...

(ii) रकवा (हे0 में) :...(iv) मुख्य सड़क से दूरी :............................

(iii) सिंचाई का श्रोत :..

3. फसल का नाम :..**4.** प्रभेद :..

4. बीज प्राप्ति का श्रोत :...

5. कृषक द्वारा प्रयुक्त उपादान का विवरण :

(i) उर्वरक...

(ii) सुक्ष्म पोषक तत्व..

(iii) कीटनाशी रसायन...

(iv) सिंचाई की संख्या...

6. बीज वितरण की तिथि ....**7. बुआई की तिथि**..

8. प्रत्यक्षण का निरीक्षण विवरण :

फसल की क्रिटिकल अवस्था	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण टिप्पणी

9. प्रत्यक्षण का फसल कटनी प्रयोग :

(i) उपस्थित पदाधिकारी/वैज्ञानिक का नाम :

(ii) फसल कटनी की तिथि :..

(iii) मिनीकीट प्लौट का ऊपज – 10X 5 वर्ग मीटर में :...........................किलोग्राम
प्रतिहेक्टेयर :........................... क्विंटल

(vi) चेक प्लौट का ऊपज– 10X 5 वर्ग मीटर में :.............किलोग्राम प्रतिहेक्टेयर .... क्विंटल

मंतव्य :

परामर्शी/तकनीकी सहायक का हस्ताक्षर	प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर	जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट : प्रत्येक बीज मिनीकीट प्रत्यक्षण हेतु इकाई प्रपत्र का उपयोग करें।

परिशिष्ट–11

मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल वर्ष 2011–12

जिला का नाम : प्रतिवेदित माह : (वित्तीयः लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	भौतिक इकाई	लक्ष्य			उपलब्धि			कुल वित्तीय उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश	भौतिक	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश	वित्तीय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**श्री तकनीक प्रत्यक्षण**	संख्या में								
2	**प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम**									
	अधिक उपजशील प्रभेद	क्वीं में								
3	**मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम**									
	अधिक उपजशील प्रभेद (5 कि0ग्रा0)	संख्या में								
	संकर धान (6 कि0ग्रा0)	संख्या में								
4	**सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण**	हे0								
5	**कीटनाशी रसायन का वितरण**	हे0								
6	**अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण**									
	कोनो वीडर	संख्या में								
	मार्कर	संख्या में								
	नेपसेक स्प्रेयर	संख्या में								
	रॉकर स्प्रेयर	संख्या में								
	पावर स्प्रेयर	संख्या में								
	पावर वीडर	संख्या में								
	सीड ड्रील	संख्या में								
	जीरो टिल सीड ड्रील	संख्या में								
	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	संख्या में								
	रोटावेटर	संख्या में								
	डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक)	संख्या में								
	लेजर लैंड लेवलर	संख्या में								
7	**विविध व्यय**									
	जिला परामर्शी का मानदेय भुगतान	संख्या में								
	जिला तकनीकी सहायक का मानदेय भुगतान	संख्या में								
	अन्य व्यय	रू0								
8	**लोकल इनिसियेटिव**									
	योग									

वित्तीय विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश
01.04.2011 का अवशेष		
वित्तीय वर्ष 2011–12 में विमुक्त राशि		
कुल उपलब्ध राशि		

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–12
मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ वर्ष 2011–12

जिला का नाम : प्रतिवेदित माह : (वित्तीयः लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	भौतिक इकाई	लक्ष्य			उपलब्धि			कुल वित्तीय उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश	भौतिक	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश	वित्तीय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**श्री तकनीक प्रत्यक्षण**	संख्या में								
2	**प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम**									
	अधिक उपजशील प्रभेद	क्वीं में								
3	**मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम**									
	अधिक उपजशील प्रभेद (10कि0ग्रा0)	संख्या में								
4	**सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण**	हे0								
	जिप्सम/पॉयराइट वितरण	हे0								
6	**अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण**									
	नेपसेक स्प्रेयर	संख्या में								
	रॉकर स्प्रेयर	संख्या में								
	पावर स्प्रेयर	संख्या में								
	सीड ड्रील	संख्या में								
	जीरो टिल सीड ड्रील	संख्या में								
	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	संख्या में								
	रोटावेटर	संख्या में								
	डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक)	संख्या में								
7	**विविध व्यय**									
	जिला परामर्शी का मानदेय भुगतान	संख्या में								
	जिला तकनीकी सहायक का मानदेय भुगतान	संख्या में								
	अन्य व्यय	रू0								
8	**लोकल इनिसियेटिव**									
योग										

वित्तीय विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश
01.04.2011 का अवशेष		
वित्तीय वर्ष 2011–12 में विमुक्त राशि		
कुल उपलब्ध राशि		

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–13
मासिक प्रगति प्रतिवेदन का विहित प्रपत्र
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2011–12

जिला का नाम : प्रतिवेदित माह : (वित्तीयः लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	भौतिक इकाई	लक्ष्य			उपलब्धि			कुल वित्तीय उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश	भौतिक	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश	वित्तीय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम** (BRBN)									
	प्रजनक बीज का क्रय	क्वीं में								
	आधार बीज उत्पादन	क्वीं में								
	प्रमाणित बीज उत्पादन	क्वीं में								
2	**प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम**	क्वीं में								
3	**सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण**	हे0								
4	**फास्फोजिप्सम/सज्फर** 80% WDG	हे0								
5	**जैव उर्वरक (राइजोवियम/पी0एस0बी0/वाम)**	हे0								
6	**समेकित कीट प्रबंधन**	हे0								
7	**कीटनाशी रसायन का वितरण**	हे0								
8	**खरपतवारनाशी रसायन का वितरण**	हे0								
9	**अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण**									
	नेपसेक स्प्रेयर	संख्या में								
	रॉकर स्प्रेयर	संख्या में								
	पावर स्प्रेयर	संख्या में								
	सीड ड्रील	संख्या में								
	जीरो टिल सीड ड्रील	संख्या में								
	मल्टीक्रॉप प्लान्टर	संख्या में								
	रोटावेटर	संख्या में								
	डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक)	संख्या में								
	सिंचाई पाईप (800 मीटर/हे0)	हे0 में								
10	**विविध व्यय**									
	जिला परामर्शी का मानदेय भुगतान	संख्या में								
	जिला तकनीकी सहायक का मानदेय भुगतान	संख्या में								
	अन्य व्यय	रू0								
	योग									

वित्तीय विवरण	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**
01.04.2011 का अवशेष		
वित्तीय वर्ष 2011–12 में विमुक्त राशि		
कुल उपलब्ध राशि		

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–14
बीज कम्पनी के लिये अनुदान दावा सत्यापन प्रपत्र–क

निगम : वर्ष :
फसल : योजना :
मौसम : रबी/खरीफ जिला :

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम एवं पता	विक्रय इन्वायस (सत्यापित प्रति)		प्रभेद	बीज की मात्रा	मुल्य/क्विं0	बीज का कुल मूल्य	अनुदान की राशि	अभ्युक्ति
		संख्या	दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

बीज प्रतिष्ठान के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट : (1) सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में मेरे अधिकृत बीज बिक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर बीज वितरण किसानों को किया गया है।
(2) अनुदानित दर पर बीज वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये पूर्णतः मेरा प्रतिष्ठान जिम्मेवार होगा।

परिशिष्ट–15
जिला कृषि पदाधिकारी के लिये बीज विक्री सत्यापन प्रपत्र–ख

जिला का नाम : फसल का नाम :
श्रोत (बीज कम्पनी का नाम) : योजना का नाम :

(इकाई : क्विंटल में)

जिला वितरक/विक्रता प्रतिष्ठान का नाम	वास्तविक आपूर्ति मात्रा	कृषक को वितरित बीज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4

''प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में बीज की सत्यापित मात्रा जिला के कृषकों को अनुदानित दर पर विक्रय कराया गया है।''

जिला कृषि पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

....

नोट : जिला कृषि पदाधिकारी **अनुदान दावा की मात्रा** का सत्यापन संलग्न कागजात के आधार पर भंडार पंजी, वितरण पंजी का सत्यापन करेंगे। बीज बिक्री सत्यापन प्रतिवेदन अनुदान दावा प्रपत्र–**क** की प्राप्ति से 10 दिनों के अन्दर सत्यापन कर कृषि निदेशक/मिशन निदेशक को निम्न विहित प्रपत्र–**ख** में उपलब्ध करायेंगे।

परिशिष्ट–16

FORM GFR 19-A

Office of the District Agriculture Officer,..................

Utilization Certificate-Central Share

Certified that Rs............................... (...) of grant-in-aid sanctioned/released during the year 2011-12 in favour of **Project Director, ATMA, ...** under the Department of Agriculture vide letter nos. noted below and Rs.................. (................ ....) unspent balance of the previous year (2010-11).

Sl. No.	Department release order No./date	Amount (Rs.)
1	Unspent Balance as on 01.04.2011	
2		
3		
4		
5		
6		
	Total	

2. Certified that out of Rs............................... (..), a sum of Rs............................... (...) has been utilized for the purpose of implementation of the NFSM as per enclosed component specific Final Physical & Financial Progress Report as on 31st March, 2012.

3. Certified that the balance of Rs Rs......................(..) remaining unutilized fund at the end of the year has been surrendered to the Government of India / will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year (2012-13) / will be adjusted from release of financial year 2012-13.

4. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been dully fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised that following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

5. Expenditure for amount shown as spent above in UC has been actually incurred and does not include any committed liability or funds merely transferred to field agencies etc. for implementation of schemes.

Kinds of Checks exercised :-

1. Scheme has been executed as per norms and guideline issued by GOI.
2. The amount utilized under operational guidelines of NFSM issued by the State Department of Agriculture.
3. Regular monitoring of the schemes have been done at various level.
4. Evaluation of physical and financial achievements have been done.

Date……………….

Name & Signature of District Agriculture Officer

Countersigned by
Joint Director of Agriculture

Letter No. :.......................... Dated......................2011

Copy forwarded to – The Mission Director, NFSM, Department of Agriculture, Bihar, Patna for kind information & necessary action (For all Three crops.)

District Agriculture Officer
....

परिशिष्ट–17

FORM GFR 19-A

Office of the District Agriculture Officer,..................

Utilization Certificate-State Share

Certified that Rs................................(...) sanctioned/released during the year 2011-12 in favour of **Project Director, ATMA, ...** under the Department of Agriculture vide letter nos. noted below and Rs .... (...) unspent balance of the previous year (2010-11).

Sl. No.	Department release order No./date	Amount (Rs.)
1	Unspent Balance as on 01.04.2011	
2		
3		
4		
5		
6		
	Total	

2. Certified that out of Rs................................(..), a sum of Rs................................ (...) has been utilized for the purpose of implementation of the NFSM as per enclosed component specific Final Physical & Financial Progress Report as on 31st March, 2012.

3. Certified that the balance of Rs.........................(..) remaining unutilized fund at the end of the year has been surrendered to the Department of Agriculture, Govt of Bihar / will be adjusted from sanction/release of financial year 2012-13.

4. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the amount was sanctioned have been dully fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised that following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

5. Expenditure for amount shown as spent above in UC has been actually incurred and does not include any committed liability or funds merely transferred to field agencies etc. for implementation of schemes.

Kinds of Checks exercised :-

1. Scheme has been executed as per norms and guideline issued by GOI.
2. The amount utilized under operational guidelines of NFSM issued by the State Department of Agriculture.
3. Regular monitoring of the schemes have been done at various level.
4. Evaluation of physical and financial achievements have been done.

Date……………….

Name & Signature of District Agriculture Officer

Countersigned by
Joint Director of Agriculture

Letter No. :.........................   Dated.....................2011

Copy forwarded to – The Mission Director, NFSM, Department of Agriculture, Bihar, Patna for kind information & necessary action (For all Three crops.)

District Agriculture Officer
....

परिशिष्ट–18
लाभान्वित कृषकों की सूची संधारित करने हेतु विहित प्रपत्र
(कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम को छोड़कर)

जिला का नाम : फसल का नाम :

वित्तीय वर्ष : कार्यक्रम का नाम :

प्रखंड का नाम :

क्र0 सं0	लाभान्वित कृषक का नाम	कृषक के पिता/ पति का नाम	कृषक का वर्गीकरण (अनु0जा0 /अनु0ज0जा0 / सामान्य)	कृषक का प्रकार (लघु/ सीमान्त /महिला /अन्य)	ग्राम	पंचायत	उपादान का नाम	उपादान की मात्रा	उपादान का मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1										
2										
3										

अधिकृत विक्रेता के प्रोपराइटर का हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–19
लाभान्वित कृषकों की सूची संधारित करने हेतु विहित प्रपत्र
(कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम हेतु)

जिला का नाम : फसल का नाम :

वित्तीय वर्ष : प्रखंड का नाम :

क्र0 सं0	लाभान्वित कृषक का नाम	कृषक के पिता/ पति का नाम	कृषक का वर्गीकरण (अनु0जा0 /अनु0ज0जा0 / सामान्य)	कृषक का प्रकार (लघु/ सीमान्त /महिला /अन्य)	ग्राम	पंचायत	कृषि यंत्र का नाम	मेक/ मॉडल	यंत्र का पहचान सं0	यंत्र का मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1											
2											
3											

अधिकृत विक्रेता के प्रोपराइटर का हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–20

लाभान्वितों का वर्गीकरणवार प्रतिवेदन प्रारूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल वर्ष 2011–12

जिला का नाम : (वित्तीयः लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि		
				अ0ज0जा0 (70%)	महिला (33%)	अन्य (15%)	अ0ज0जा0 (70%)	महिला (33%)	अन्य (15%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**श्री तकनीक प्रत्यक्षण**								
2	**प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम**								
	अधिक उपजशील प्रभेद								
3	**मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम**								
	अधिक उपजशील प्रभेद (5 कि0ग्रा0)								
	संकर धान (6 कि0ग्रा0)								
4	**सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण**								
5	**कीटनाशी रसायन का वितरण**								
6	**अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण**								
	कोनो वीडर								
	मार्कर								
	नेपसेक स्प्रेयर								
	रॉकर स्प्रेयर								
	पावर स्प्रेयर								
	पावर वीडर								
	सीड ड्रील								
	जीरो टिल सीड ड्रील								
	मल्टीक्रॉप प्लान्टर								
	रोटावेटर								
	डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक)								
	लेजर लैंड लेवलर								
7	**विविध व्यय**								
	जिला परामर्शी का मानदेय भुगतान								
	जिला तकनीकी सहायक का मानदेय भुगतान								
8	**लोकल इनिसियेटिव**								
	योग								

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–21
लाभान्वितों का वर्गीकरणवार प्रतिवेदन प्रारूप
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ वर्ष 2011–12

जिला का नाम : (वित्तीयः लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि		
				अ0ज0जा0 (70%)	महिला (33%)	अन्य (15%)	अ0ज0जा0 (70%)	महिला (33%)	अन्य (15%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**श्री तकनीक प्रत्यक्षण**								
2	**प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम**								
	अधिक उपजशील प्रभेद								
3	**मिनीकिट बीज वितरण कार्यक्रम**								
	अधिक उपजशील प्रभेद (10कि0ग्रा0)								
4	**सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण**								
	जिप्सम/पॉयराइट वितरण								
6	**अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण**								
	नेपसेक स्प्रेयर								
	रॉकर स्प्रेयर								
	पावर स्प्रेयर								
	सीड ड्रील								
	जीरो टिल सीड ड्रील								
	मल्टीक्रॉप प्लान्टर								
	रोटावेटर								
	डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक)								
7	**विविध व्यय**								
	जिला परामर्शी का मानदेय भुगतान								
	जिला तकनीकी सहायक का मानदेय भुगतान								
8	**लोकल इनिसियेटिव**								
	योग								

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–22

लाभान्वितों का वर्गीकरणवार प्रतिवेदन प्रारूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2011–12

जिला का नाम : (वित्तीयः लाख रू0 में)

क्र0 सं0	घटक	कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि		
				अ0ज0जा0 (70%)	महिला (33%)	अन्य (15%)	अ0ज0जा0 (70%)	महिला (33%)	अन्य (15%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम (BRBN)**								
	प्रजनक बीज का क्रय								
	आधार बीज उत्पादन								
	प्रमाणित बीज उत्पादन								
2	**प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम**								
3	**सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण**								
4	**फास्फोजिप्सम / सज्फर** 80% WDG								
5	**जैव उर्वरक (राइजोवियम / पी0एस0बी0 / वाम)**								
6	**समेकित कीट प्रबंधन**								
7	**कीटनाशी रसायन का वितरण**								
8	**खरपतवारनाशी रसायन का वितरण**								
9	**अनुदानित दर पर कृषि यंत्र वितरण**								
	नेपसेक स्प्रेयर								
	रॉकर स्प्रेयर								
	पावर स्प्रेयर								
	सीड ड्रील								
	जीरो टिल सीड ड्रील								
	मल्टीक्रॉप प्लान्टर								
	रोटावेटर								
	डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक)								
	सिंचाई पाईप (800 मीटर / हे0)								
10	**विविध व्यय**								
	जिला परामर्शी का मानदेय भुगतान								
	जिला तकनीकी सहायक का मानदेय भुगतान								
योग									

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–23

फसल जाँच कटनी प्रतिवेदन प्रारूप

जिला का नाम : फसल का नाम :

प्रखंड का नाम : वित्तीय वर्ष :

कार्यक्रम का नाम :

क्र0 सं0	लाभान्वित कृषक का नाम	ग्राम	पंचायत	फसल कटनी की तिथि	जाँच में उत्पादन की मात्रा		कंट्रोल प्लाट में उत्पादन क्विं / हे0	अभ्युक्ति
					10X5 वर्ग मी0 (किलोग्राम)	क्विंटल प्रति हेक्टेयर		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

जिला कृषि पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–24

कृषि विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रत्यक्षण		मिनीकीट बीज वितरण		धान बीज वितरण अधिक उपजशील रूपये 700/क्विं0 (केन्द्रांश 500+राज्यांश 200)			सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण रूपये 900/हे0 (केन्द्रांश 500+राज्यांश 400)		
		श्री तकनीक रू0 3000/एकड़		अधिक उपजशील	संकर धान	भौतिक (क्विं0)	वित्तीय		भौतिक (हे0)	वित्तीय	
		भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	भौतिक (संख्या)		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नालन्दा	234	7.020	1574	273	3750			2350	11.750	9.400
2	मुजफ्फरपुर	363	10.890	3220	399	4250			2900	14.500	11.600
3	पु0 चम्पारण	385	11.550	4913	610	4500			3700	18.500	14.800
4	प0 चम्पारण	296	8.880	3908	484	4375			3500	17.500	14.000
5	सीतामढी	256	7.680	2137	265	2250			1800	9.000	7.200
6	दरभंगा	310	9.300	1735	214	2250			1800	9.000	7.200
7	मधुबनी	375	11.250	3673	455	4063			3200	16.000	12.800
8	समस्तीपुर	350	10.500	1629	201	1875			1550	7.750	6.200
9	जमुई	140	4.200	830	144	1625			1200	6.000	4.800
10	बॉका	170	5.100	1641	285	2375			1950	9.750	7.800
11	सहरसा	150	4.500	1916	237	2125			1650	8.250	6.600
12	सुपौल	170	5.100	2458	305	2313			2000	10.000	8.000
13	मधेपुरा	160	4.800	3188	397	1875			1500	7.500	6.000
14	किशनगंज	126	3.780	2364	292	2125			2300	11.500	9.200
15	अररिया	200	6.000	1812	224	2250			1900	9.500	7.600
16	कटिहार	230	6.900	2028	253	2625			2100	10.500	8.400
17	गया	310	9.300	903	156	2875			2600	13.000	10.400
18	सीवान	275	8.250	1762	306	2500			2000	10.000	8.000
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान							250.000	100.000			
राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय											
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन											
कुल		**4500**	**135.000**	**41691**	**5500**	**50000**	**250.000**	**100.000**	**40000**	**200.000**	**160.000**

–2–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कृषि यंत्रों का वितरण											
		कोनो वीडर रू0 800/यंत्र		मार्कर रू0 500/यंत्र		नेप सेक/रॉकर स्प्रेयर/पावर स्प्रेयर रू0 3000/यंत्र		सीड ड्रिल रूपये 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+राज्यांश 25000)			जीरो टिलेज ड्रिल रूपये 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+राज्यांश 25000)		
								भौतिक (क्विं0)	वित्तीय		भौतिक (क्विं0)	वित्तीय	
		भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश
1	**2**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1	नालन्दा	234	1.87	50	0.25	350	10.50	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
2	मुजफ्फरपुर	363	2.90	80	0.40	280	8.40	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
3	पु0 चम्पारण	385	3.08	75	0.38	470	14.10	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
4	प0 चम्पारण	296	2.37	60	0.30	314	9.42	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
5	सीतामढी	256	2.05	50	0.25	314	9.42	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
6	दरभंगा	310	2.48	62	0.31	314	9.42	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
7	मधुबनी	375	3.00	75	0.38	350	10.50	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
8	समस्तीपुर	350	2.80	70	0.35	350	10.50	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
9	जमुई	140	1.12	30	0.15	174	5.22	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
10	बॉका	170	1.36	40	0.20	190	5.70	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
11	सहरसा	150	1.20	40	0.20	174	5.22	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
12	सुपौल	170	1.36	40	0.20	190	5.70	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
13	मधेपुरा	160	1.28	40	0.20	226	6.78	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
14	किशनगंज	126	1.01	25	0.13	120	3.60	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
15	अररिया	200	1.60	40	0.20	156	4.68	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
16	कटिहार	230	1.84	46	0.23	278	8.34	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
17	गया	310	2.48	72	0.36	418	12.54	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
18	सीवान	275	2.20	55	0.28	332	9.96	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान													
राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय													
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन													
कुल		**4500**	**36.00**	**950**	**4.75**	**5000**	**150.00**	**36**	**5.400**	**9.000**	**36**	**5.400**	**9.000**

—3—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल वर्ष 2011—12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कृषि यंत्रों का वितरण													
		पावर वीडर रूपये 30000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+राज्यांश 15000)			रोटावेटर रूपये 40000/यंत्र (केन्द्रांश 30000+राज्यांश 10000)			पम्प सेट रू0 10000/सेट		मल्टी क्रॉप प्लान्टर रूपये 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+ राज्यांश 25000)			लेजर लैंड लेवलर रूपये 2.5 लाख/यंत्र (केन्द्रांश 1.5+राज्यांश 1.0 लाख)		
		भौतिक (क्विं0)	वित्तीय		भौतिक (क्विं0)	वित्तीय				भौतिक (क्विं0)	वित्तीय		भौतिक (क्विं0)	वित्तीय	
			केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	भौतिक (सं0मे)	वित्तीय		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	नालन्दा	2	0.30	0.30	24	7.20	2.40	250	25.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
2	मुजफ्फरपुर	2	0.30	0.30	24	7.20	2.40	390	39.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
3	पु0 चम्पारण	2	0.30	0.30	36	10.80	3.60	410	41.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
4	प0 चम्पारण	2	0.30	0.30	24	7.20	2.40	316	31.60	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
5	सीतामढी	2	0.30	0.30	24	7.20	2.40	274	27.40	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
6	दरभंगा	2	0.30	0.30	24	7.20	2.40	330	33.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
7	मधुबनी	2	0.30	0.30	16	4.80	1.60	400	40.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
8	समस्तीपुर	2	0.30	0.30	20	6.00	2.00	380	38.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
9	जमुई	2	0.30	0.30	15	4.50	1.50	154	15.40	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
10	बॉका	2	0.30	0.30	15	4.50	1.50	185	18.50	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
11	सहरसा	2	0.30	0.30	15	4.50	1.50	156	15.60	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
12	सुपौल	2	0.30	0.30	15	4.50	1.50	140	14.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
13	मधेपुरा	2	0.30	0.30	16	4.80	1.60	168	16.80	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
14	किशनगंज	2	0.30	0.30	15	4.50	1.50	130	13.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
15	अररिया	2	0.30	0.30	15	4.50	1.50	210	21.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
16	कटिहार	2	0.30	0.30	18	5.40	1.80	232	23.20	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
17	गया	2	0.30	0.30	22	6.60	2.20	330	33.00	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
18	सीवान	2	0.30	0.30	22	6.60	2.20	295	29.50	2	0.30	0.50	1	1.50	1.00
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान				0.00											
राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय				0.00											
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन				0.00											
कुल		**36**	**5.40**	**5.40**	**360**	**108.00**	**36.00**	**4750**	**475.00**	**36**	**5.40**	**9.00**	**18**	**27.00**	**18.00**

—4—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—चावल वर्ष 2011—12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	पौधा संरक्षण रसायन वितरण रू0 500/हे0		लोकल इनिसियेटिव मिजर्स (कार्यक्रम एवं लक्ष्य अलग से दिया जायेगा)		परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय: परामर्शी रू0 20000/—राज्य) रू0 15000/—(जिला)		तकनीकी सहायक रू0 12000/—राज्य) रू0 8000/—(जिला)		आकस्मिक व्यय	कुल कर्णांकित राशि	
		भौतिक (हे0)	वित्तीय	भौतिक (सं0मे)	वित्तीय	भौतिक (सं0मे)	वित्तीय	भौतिक (सं0मे)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश
1	**2**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**
1	नालन्दा	300	1.500			1	1.800	4	3.840	0.720	74.152	14.600
2	मुजफ्फरपुर	375	1.875			1	1.800	4	3.840	0.720	94.229	16.800
3	पु0 चम्पारण	410	2.050			1	1.800	4	3.840	0.720	110.515	21.200
4	प0 चम्पारण	425	2.125			1	1.800	4	3.840	0.720	88.453	19.200
5	सीतामढी	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	73.307	12.400
6	दरभंगा	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	81.020	12.400
7	मधुबनी	375	1.875			1	1.800	4	3.840	0.720	96.860	17.200
8	समस्तीपुर	200	1.000			1	1.800	4	3.840	0.720	85.960	11.000
9	जमुई	165	0.825			1	1.800	4	3.840	0.720	46.475	9.100
10	बॉका	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	55.420	12.100
11	सहरसा	210	1.050			1	1.800	4	3.840	0.720	49.580	10.900
12	सुपौल	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	51.170	12.300
13	मधेपुरा	210	1.050			1	1.800	4	3.840	0.720	52.270	10.400
14	किशनगंज	290	1.450			1	1.800	4	3.840	0.720	48.024	13.500
15	अररिया	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	57.790	11.900
16	कटिहार	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	66.720	13.000
17	गया	290	1.450			1	1.800	4	3.840	0.720	87.790	15.400
18	सीवान	250	1.250			1	1.800	4	3.840	0.720	77.095	13.000
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान					360.00						610.000	100.000
राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय						**2**	4.800	**2**	2.880	6.190	13.870	0.000
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन											5.000	0.000
कुल		**5000**	**25.000**		**360.00**	**20**	**37.200**	**74**	**72.000**	**19.150**	**1925.700**	**346.400**

परिशिष्ट–25

कृषि विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रत्यक्षण रू0 3000/–		मिनीकीट वितरण (10 किलो)	बीज वितरण रू0 700/क्विं0 (केन्द्रांश 500+राज्यांश 200)			सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण रू0 900/हे0 (केन्द्रांश 500+राज्यांश 400)			जिप्सम पॉयराइट वितरण रू0 500/हे0	
					भौतिक (क्विं0)	वित्तीय		भौतिक (हे0)	वित्तीय			
		भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	भौतिक (हे0)	वित्तीय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	नालन्दा	166	4.980	1671	25000			3050	15.250	12.200	580	2.900
2	रोहतास	166	4.980	2752	34000			5550	27.750	22.200		
3	भभुआ	100	3.000	1265	14000			2500	12.500	10.000		
4	नवादा	126	3.780	1007	17000			2100	10.500	8.400		
5	सारण	220	6.600	1815	22000			3700	18.500	14.800	700	3.500
6	मुजफ्फरपुर	260	7.800	1968	28000			4000	20.000	16.000	750	3.750
7	पूर्वी चम्पारण	276	8.280	2047	25000			4200	21.000	16.800	800	4.000
8	प0 चम्पारण	210	6.300	1629	20000			3300	16.500	13.200	630	3.150
9	सीतामढ़ी	180	5.400	1281	16000			2680	13.400	10.720	500	2.500
10	वैशाली	194	5.820	862	11000			1800	9.000	7.200	350	1.750
11	दरभंगा	220	6.600	1441	15000			3000	15.000	12.000		
12	मधुबनी	266	7.980	1743	10000			3400	17.000	13.600		
13	समस्तीपुर	254	7.620	1004	13000			1800	9.000	7.200	350	1.750
14	मुंगेर	66	1.980	366	6000			1000	5.000	4.000		
15	शेखपुरा	40	1.200	400	5000			1000	5.000	4.000		
16	जमुई	106	3.180	269	3500			1300	6.500	5.200		
17	भागलपुर	166	4.980	682	8500			1200	6.000	4.800		
18	बांका	126	3.780	624	6000			1300	6.500	5.200		
19	सुपौल	94	2.820	1004	12000			1900	9.500	7.600		
20	मधेपुरा	120	3.600	809	10000			1550	7.750	6.200		
21	पूर्णिया	166	4.980	877	10000			1670	8.350	6.680		
22	किशनगंज	86	2.580	429	6000			1000	5.000	4.000		
23	अररिया	146	4.380	1072	13000			2200	11.000	8.800		
24	कटिहार	160	4.800	692	10000			1400	7.000	5.600		
25	खगड़िया	86	2.580	663	10000			1400	7.000	5.600	275	1.375
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान						1750.00	700.00					
राज्य स्तरीय परि0 प्रबंधन दल एवं अन्य व्यय												
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन												
कुल		**4000**	**120.00**	**28372**	**350000**	**1750.00**	**700.00**	**58000**	**290.000**	**232.000**	**4935**	**24.675**

—2—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ वर्ष 2011—12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कृषि यंत्रों का वितरण															
		नेप सेक/रॉकर स्प्रेयर/पावर स्प्रेयर रू0 3000/यंत्र		जिरो टिलेज रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 5000+ राज्यांश 25000)			सीड कम फटिलाईजर ड्रील रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+ राज्यांश 25000)			मल्टी क्रॉप प्लान्टर रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+ राज्यांश 25000)			रोटाभेटर रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 30000+ राज्यांश 10000)			डीजल पम्प सेट (10 एच0पी0 तक) रू0 10000/सेट	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय		भौतिक (सं0)	वित्तीय		भौतिक (सं0)	वित्तीय		भौतिक (सं0)	वित्तीय		भौतिक (सं0)	वित्तीय
					केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश		
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	नालन्दा	260	7.80	8	1.20	2.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	20	6.00	2.00	240	24.00
2	रोहतास	250	7.50	7	1.05	1.75	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	20	6.00	2.00	228	22.80
3	भभुआ	150	4.50	5	0.75	1.25	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	140	14.00
4	नवादा	190	5.70	5	0.75	1.25	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	180	18.00
5	सारण	330	9.90	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	20	6.00	2.00	300	30.00
6	मुजफ्फरपुर	400	12.00	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	16	4.80	1.60	360	36.00
7	पू0 चम्पारण	410	12.30	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	26	7.80	2.60	370	37.00
8	प0 चम्पारण	330	9.90	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	22	6.60	2.20	294	29.40
9	सीतामढ़ी	270	8.10	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	260	26.00
10	वैशाली	290	8.70	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	18	5.40	1.80	270	27.00
11	दरभंगा	330	9.90	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	18	5.40	1.80	300	30.00
12	मधुबनी	400	12.00	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	22	6.60	2.20	370	37.00
13	समस्तीपुर	380	11.40	6	0.90	1.50	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	22	6.60	2.20	340	34.00
14	मुंगेर	100	3.00	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	10	3.00	1.00	88	8.80
15	शेखपुरा	50	1.50	3	0.45	0.75	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	10	3.00	1.00	54	5.40
16	जमुई	150	4.50	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	10	3.00	1.00	140	14.00
17	भागलपुर	250	7.50	5	0.75	1.25	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	16	4.80	1.60	228	22.80
18	बांका	190	5.70	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	160	16.00
19	सुपौल	140	4.20	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	150	15.00
20	मधेपुरा	170	5.10	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	128	12.80
21	पूर्णिया	250	7.50	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	230	23.00
22	किशनगंज	120	3.60	3	0.45	0.75	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	10	3.00	1.00	120	12.00
23	अररिया	220	6.60	3	0.45	0.75	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	10	3.00	1.00	200	20.00
24	कटिहार	240	7.20	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	18	5.40	1.80	200	20.00
25	खगड़िया	130	3.90	4	0.60	1.00	2	0.30	0.50	2	0.30	0.50	14	4.20	1.40	150	15.00
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान																	
राज्य स्तरीय परि0 प्रबंधन दल एवं अन्य व्यय																	
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन																	
कुल		**6000**	**180.00**	**125**	**18.75**	**31.25**	**50**	**7.50**	**12.50**	**50**	**7.50**	**12.50**	**400**	**120.0**	**40.00**	**5500**	**550.00**

—3—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन—गेहूँ वर्ष 2011—12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	लोकल इनिसियेटिव मिजर्स (कार्यक्रम एवं लक्ष्य अलग से दिया जायेगा)		परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय: परामर्शी रू0 20000/— राज्य) रू0 15000/— (जिला)		परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय: तकनीकी सहायक रू0 12000/—राज्य) रू0 8000/—(जिला)		परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय: आकस्मिक व्यय	कुल कर्णांकित राशि	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश
1	**2**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**
1	नालन्दा			1	1.80	4	3.84	0.74	69.110	17.200
2	रोहतास			1	1.80	4	3.84	0.74	77.060	26.950
3	भभुआ			1	1.80	4	3.84	0.74	45.930	13.650
4	नवादा			1	1.80	4	3.84	0.74	49.910	12.050
5	सारण			1	1.80	4	3.84	0.74	82.380	19.300
6	मुजफ्फरपुर			1	1.80	4	3.84	0.74	92.230	20.100
7	पूर्वी चम्पारण			1	1.80	4	3.84	0.74	98.260	21.900
8	प0 चम्पारण			1	1.80	4	3.84	0.74	79.730	17.900
9	सीतामढ़ी			1	1.80	4	3.84	0.74	67.480	14.620
10	वैशाली			1	1.80	4	3.84	0.74	65.550	11.500
11	दरभंगा			1	1.80	4	3.84	0.74	74.780	16.300
12	मधुबनी			1	1.80	4	3.84	0.74	88.460	18.300
13	समस्तीपुर			1	1.80	4	3.84	0.74	78.250	11.900
14	मुंगेर			1	1.80	4	3.84	0.74	29.360	7.000
15	शेखपुरा			1	1.80	4	3.84	0.74	23.530	6.750
16	जमुई			1	1.80	4	3.84	0.74	38.760	8.200
17	भागलपुर			1	1.80	4	3.84	0.74	53.810	8.650
18	बांका			1	1.80	4	3.84	0.74	43.760	8.600
19	सुपौल			1	1.80	4	3.84	0.74	43.300	11.000
20	मधेपुरा			1	1.80	4	3.84	0.74	41.030	9.600
21	पूर्णिया			1	1.80	4	3.84	0.74	55.610	10.080
22	किशनगंज			1	1.80	4	3.84	0.74	33.610	6.750
23	अररिया			1	1.80	4	3.84	0.74	52.410	11.550
24	कटिहार			1	1.80	4	3.84	0.74	51.980	9.400
25	खगड़िया			1	1.80	4	3.84	0.74	41.635	9.000
लोकल इनिसियेटिव मिजर्स एवं बीज अनुदान			500.000						2250.000	700.000
राज्य स्तरीय परि0 प्रबंधन दल एवं अन्य व्यय				2	4.80	2	2.88	6.19	13.870	0.000
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन									5.000	0.000
कुल			**500.000**	**27**	**49.80**	**102**	**98.88**	**24.69**	**3746.795**	**1028.250**

परिशिष्ट–26
कृषि विभाग, बिहार सरकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रजनक बीज का क्रय (आई0सी0ए0आर0 द्वारा निर्धारित दर)		आधार बीज का उत्पादन रूपये 1000 / क्विं0		प्रमाणित बीज का उत्पादन रूपये 1000 / क्विं0		प्रमाणित बीज वितरण रूपये 2000 / हे0 (केन्द्रांश 1200+राज्यांश 800)					
								खरीफ	रबी	गरमा	कुल दलहन		
		भौतिक (क्विं में)	वित्तीय	भौतिक (क्विं में)	वित्तीय	भौतिक (क्विं में)	वित्तीय	भौतिक (क्विं)	भौतिक (क्विं)	भौतिक (क्विं)	भौतिक (क्विं में)	वित्तीय	
												केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन अन्तर्गत चिन्हित जिले													
1	पटना							100	4000	80	4180		
2	नालन्दा							210	2500	40	2750		
3	भोजपुर							290	2500	40	2830		
4	भभुआ							136	1070	90	1296		
5	औरंगाबाद							100	1100	60	1260		
6	मुजफ्फरपुर							120	810	70	1000		
7	मधुबनी							90	860	50	1000		
8	समस्तीपुर							116	580	100	796		
9	सहरसा							20	80	500	600		
10	सुपौल							30	370	500	900		
11	मधेपुरा								300	100	400		
12	पुर्णियाँ								180	370	550		
13	अररिया								100	400	500		
योग								**1212**	**14450**	**2400**	**18062**		
अन्य जिले													
1	बक्सर							30	940	30	1000		
2	रोहतास							54	1220	30	1304		
3	गया							75	1090	180	1345		
4	जहानाबाद								950		950		
5	अरवल								750		750		
6	नवादा								480	170	650		
7	सारण							50	50	200	300		
8	सीवान							30	210	210	450		
9	गोपालगंज								440	140	580		
10	पू0 चम्पारण							30	390	160	580		
11	प0 चम्पारण							208	790	100	1098		
12	सीतामढ़ी							50	200	300	550		
13	शिवहर							30	140	70	240		
14	वैशाली							35	0	850	885		
15	दरभंगा								100	400	500		
16	बेगूसराय							400	430	70	900		
17	मुंगेर							50	590	320	960		
18	शेखपुरा								1100		1100		
19	लखीसराय								950		950		
20	जमुई								740	210	950		
21	खगड़िया							82	390	180	652		
22	भागलपुर							88	810		898		
23	बांका							126	470	200	796		
24	किशनगंज								202	450	652		
25	कटिहार								618	280	898		
योग								**1338**	**14050**	**4550**	**19938**		
बीज अनुदान हेतु मिशन निदेशक को												456.00	304.00
बिहार राज्य बीज निगम		300	15.702	3000	30.00	25000	250.00						
कुल योग		**300**	**15.702**	**3000**	**30.00**	**25000**	**250.00**	**2550**	**28500**	**6950**	**38000**	**456.00**	**304.00**

–2–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	पोषक तत्व प्रबंधन							कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम							
		सूक्ष्म पोषक तत्व रूपये 900/हे0 (केन्द्रांश 500+राज्यांश 400)			चुना/जिप्सम वितरण रूपये 750/हे0		राइजोवियम/पी0एस0बी0 रूपये 100/हे0		नेप सेक/रॉकर स्प्रेयर/पावर स्प्रेयर रू0 3000/यंत्र		जिरो टिल ड्रील रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+राज्यांश 25000)			सीड ड्रील रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+राज्यांश 25000)		
		भौतिक (क्विं0)	वित्तीय								भौतिक (सं0)	वित्तीय		भौतिक (सं0)	वित्तीय	
			केन्द्रांश	राज्यांश	भौतिक (हे0में)	वित्तीय	भौतिक (हे0में)	वित्तीय	भौतिक (सं0में)	वित्तीय		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन अन्तर्गत चिन्हित जिले																
1	पटना	320	1.60	1.28	320	2.40	320	0.32	33	0.990	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
2	नालन्दा	200	1.00	0.80	200	1.50	200	0.20	33	0.990	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
3	भोजपुर	200	1.00	0.80	200	1.50	200	0.20	33	0.990	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
4	भभुआ	90	0.45	0.36	90	0.68	90	0.09	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
5	औरंगाबाद	80	0.40	0.32	80	0.60	80	0.08	33	0.990	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
6	मुजफ्फरपुर	50	0.25	0.20	50	0.38	50	0.05	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
7	मधुबनी	80	0.40	0.32	80	0.60	80	0.08	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
8	समस्तीपुर	50	0.25	0.20	50	0.38	50	0.05	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
9	सहरसा	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
10	सुपौल	30	0.15	0.12	30	0.23	30	0.03	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
11	मधेपुरा	30	0.15	0.12	30	0.23	30	0.03	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
12	पुर्णियॉ	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
13	अररिया	30	0.15	0.12	30	0.23	30	0.03	22	0.660	2	0.300	0.500	2	0.300	0.500
योग		**1240**	**6.20**	**4.96**	**1240**	**9.30**	**1240**	**1.24**	**330**	**9.900**	**26**	**3.900**	**6.500**	**26**	**3.900**	**6.500**
अन्य जिले																
1	बक्सर	60	0.30	0.24	60	0.45	60	0.06	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
2	रोहतास	90	0.45	0.36	90	0.68	90	0.09	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
3	गया	90	0.45	0.36	90	0.68	90	0.09	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
4	जहानाबाद	60	0.30	0.24	60	0.45	60	0.06	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
5	अरवल	50	0.25	0.20	50	0.38	50	0.05	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
6	नवादा	50	0.25	0.20	50	0.38	50	0.05	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
7	सारण	20	0.10	0.08	20	0.15	20	0.02	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
8	सीवान	30	0.15	0.12	30	0.23	30	0.03	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
9	गोपालगंज	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
10	पू0 चम्पारण	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
11	प0 चम्पारण	70	0.35	0.28	70	0.53	70	0.07	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
12	सीतामढ़ी	60	0.30	0.24	60	0.45	60	0.06	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
13	शिवहर	20	0.10	0.08	20	0.15	20	0.02	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
14	वैशाली	20	0.10	0.08	20	0.15	20	0.02	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
15	दरभंगा	30	0.15	0.12	30	0.23	30	0.03	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
16	बेगूसराय	70	0.35	0.28	70	0.53	70	0.07	22	0.660	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
17	मुंगेर	60	0.30	0.24	60	0.45	60	0.06	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
18	शेखपुरा	70	0.35	0.28	70	0.53	70	0.07	22	0.660	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
19	लखीसराय	70	0.35	0.28	70	0.53	70	0.07	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
20	जमुई	30	0.15	0.12	30	0.23	30	0.03	22	0.660	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
21	खगड़िया	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
22	भागलपुर	60	0.30	0.24	60	0.45	60	0.06	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
23	बांका	50	0.25	0.20	50	0.38	50	0.05	33	0.990	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
24	किशनगंज	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	22	0.660	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
25	कटिहार	40	0.20	0.16	40	0.30	40	0.04	22	0.660	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000
योग		**1260**	**6.30**	**5.04**	**1260**	**9.45**	**1260**	**1.26**	**770**	**23.100**	**0**	**0.000**	**0.000**	**0**	**0.000**	**0.000**
कुल योग		**2500**	**12.500**	**10.000**	**2500**	**18.75**	**2500**	**2.50**	**1100**	**33.000**	**26**	**3.900**	**6.500**	**26**	**3.900**	**6.500**

–3–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम									
		मल्टी क्रॉप प्लान्टर रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 15000+राज्यांश 25000)			रोटामेटर रू0 40000/यंत्र (केन्द्रांश 30000+राज्यांश 10000)			डीजल पम्पसेट (10 एच0पी0 तक) रू0 10000/सेट		सिंचाई हेतु पाईप का वितरण रू0 15000/हे0 800 मीटर पाईप	
		भौतिक (सं0)	वित्तीय		भौतिक (सं0)	वित्तीय					
			केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन अन्तर्गत चिन्हित जिले											
1	पटना	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	25	2.500	20	3.000
2	नालन्दा	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	22	2.200	10	1.500
3	भोजपुर	2	0.300	0.500	3	0.90	0.300	15	1.500	10	1.500
4	भभुआ	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	12	1.200	10	1.500
5	औरंगाबाद	2	0.300	0.500	3	0.90	0.300	12	1.200	10	1.500
6	मुजफ्फरपुर	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	17	1.700	5	0.750
7	मधुबनी	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	23	2.300	6	0.900
8	समस्तीपुर	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	22	2.200	4	0.600
9	सहरसा	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	11	1.100	2	0.300
10	सुपौल	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	12	1.200	2	0.300
11	मधेपुरा	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	14	1.400	2	0.300
12	पुर्णियॉ	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	15	1.500	3	0.450
13	अररिया	2	0.300	0.500	2	0.60	0.200	10	1.000	3	0.450
योग		**26**	**3.900**	**6.500**	**28**	**8.40**	**2.800**	**210**	**21.000**	**87**	**13.050**
अन्य जिले											
1	बक्सर	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	12	1.200	5	0.750
2	रोहतास	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	21	2.100	6	0.900
3	गया	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	26	2.600	6	0.900
4	जहानाबाद	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	7	0.700	4	0.600
5	अरवल	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	5	0.500	4	0.600
6	नवादा	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	15	1.500	4	0.600
7	सारण	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	22	2.200	4	0.600
8	सीवान	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	21	2.100	4	0.600
9	गोपालगंज	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	15	1.500	3	0.450
10	पू0 चम्पारण	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	30	3.000	10	1.500
11	प0 चम्पारण	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	20	2.000	10	1.500
12	सीतामढ़ी	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	20	2.000	5	0.750
13	शिवहर	0	0.000	0.000	2	0.60	0.20	5	0.500	1	0.150
14	वैशाली	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	17	1.700	5	0.750
15	दरभंगा	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	20	2.000	5	0.750
16	बेगूसराय	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	20	2.000	4	0.600
17	मुंगेर	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	10	1.000	2	0.300
18	शेखपुरा	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	8	0.800	4	0.600
19	लखीसराय	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	8	0.800	3	0.450
20	जमुई	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	12	1.200	3	0.450
21	खगड़िया	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	20	2.000	4	0.600
22	भागलपुर	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	18	1.800	4	0.600
23	बांका	0	0.000	0.000	2	0.60	0.20	12	1.200	5	0.750
24	किशनगंज	0	0.000	0.000	2	0.60	0.20	8	0.800	4	0.600
25	कटिहार	0	0.000	0.000	3	0.90	0.30	18	1.800	4	0.600
योग		**0**	**0.000**	**0.000**	**72**	**21.60**	**7.20**	**390**	**39.000**	**113**	**16.950**
कुल योग		**26**	**3.900**	**6.500**	**100**	**30.000**	**10.000**	**600**	**60.000**	**200**	**30.000**

—4—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन वर्ष 2011–12 की कार्य योजना (राज्यांश सहित)

वित्तीय लाख रुपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	कीट–व्याधि प्रबंधन						परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक					कुल कर्णांकित राशि	
		समेकित कीट प्रबंधन रू0 750/हे0		पौधा संरक्षण रसायन वितरण रू0 500/हे0		खरपतवारनाशी का वितरण रू0 500/हे0		परामर्शी रू0 20000/– राज्य) रू0 15000/–(जिला)		तकनीकी सहायक रू0 12000/– राज्य) रू0 8000/–(जिला)		अन्य व्यय		
		भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0में)	वित्तीय	भौतिक (सं0में)	वित्तीय	भौतिक (सं0 में)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय केन्द्रांश	वित्तीय राज्यांश
1	**2**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
1	पटना	1280	9.60	1280	6.40	128	0.64	1	1.80	2	1.92	0.75	33.420	2.980
2	नालन्दा	800	6.00	800	4.00	80	0.40	1	1.80	2	1.92	0.75	23.760	2.500
3	भोजपुर	800	6.00	800	4.00	80	0.40	1	1.80	2	1.92	0.75	23.360	2.600
4	भभुआ	360	2.70	360	1.80	36	0.18	1	1.80	2	1.92	0.75	15.225	2.060
5	औरंगाबाद	320	2.40	320	1.60	32	0.16	1	1.80	2	1.92	0.75	15.200	2.120
6	मुजफ्फरपुर	200	1.50	200	1.00	20	0.10	1	1.80	2	1.92	0.75	12.355	1.900
7	मधुबनी	320	2.40	320	1.60	32	0.16	1	1.80	2	1.92	0.75	15.070	2.020
8	समस्तीपुर	200	1.50	200	1.00	20	0.10	1	1.80	2	1.92	0.75	12.705	1.900
9	सहरसा	160	1.20	160	0.80	16	0.08	1	1.80	2	1.92	0.75	10.650	1.860
10	सुपौल	120	0.90	120	0.60	12	0.06	1	1.80	2	1.92	0.75	10.095	1.820
11	मधेपुरा	120	0.90	120	0.60	12	0.06	1	1.80	2	1.92	0.75	10.295	1.820
12	पुर्णियॉ	160	1.20	160	0.80	16	0.08	1	1.80	2	1.92	0.75	11.200	1.860
13	अररिया	120	0.90	120	0.60	12	0.06	1	1.80	2	1.92	0.75	10.045	1.820
योग		**4960**	**37.20**	**4960**	**24.80**	**496**	**2.48**	**13**	**23.40**	**26**	**24.96**	**9.75**	**203.380**	**27.260**
1	बक्सर	240	1.80	240	1.20	24	0.12	0	0	0	0	1.00	8.770	0.540
2	रोहतास	360	2.70	360	1.80	36	0.18	0	0	0	0	1.00	11.785	0.660
3	गया	360	2.70	360	1.80	36	0.18	0	0	0	0	1.00	12.285	0.660
4	जहानाबाद	240	1.80	240	1.20	24	0.12	0	0	0	0	1.00	8.120	0.540
5	अरवल	200	1.50	200	1.00	20	0.10	0	0	0	0	1.00	7.265	0.500
6	नवादा	200	1.50	200	1.00	20	0.10	0	0	0	0	1.00	8.265	0.500
7	सारण	80	0.60	80	0.40	8	0.04	0	0	0	0	1.00	7.000	0.380
8	सीवान	120	0.90	120	0.60	12	0.06	0	0	0	0	1.00	7.555	0.420
9	गोपालगंज	160	1.20	160	0.80	16	0.08	0	0	0	0	1.00	7.460	0.460
10	पू0 चम्पारण	160	1.20	160	0.80	16	0.08	0	0	0	0	1.00	10.010	0.460
11	प0 चम्पारण	280	2.10	280	1.40	28	0.14	0	0	0	0	1.00	10.975	0.580
12	सीतामढ़ी	240	1.80	240	1.20	24	0.12	0	0	0	0	1.00	9.570	0.540
13	शिवहर	80	0.60	80	0.40	8	0.04	0	0	0	0	1.00	4.550	0.280
14	वैशाली	80	0.60	80	0.40	8	0.04	0	0	0	0	1.00	6.650	0.380
15	दरभंगा	120	0.90	120	0.60	12	0.06	0	0	0	0	1.00	7.605	0.420
16	बेगूसराय	280	2.10	280	1.40	28	0.14	0	0	0	0	1.00	9.745	0.580
17	मुंगेर	240	1.80	240	1.20	24	0.12	0	0	0	0	1.00	8.120	0.540
18	शेखपुरा	280	2.10	280	1.40	28	0.14	0	0	0	0	1.00	8.545	0.580
19	लखीसराय	280	2.10	280	1.40	28	0.14	0	0	0	0	1.00	8.725	0.580
20	जमुई	120	0.90	120	0.60	12	0.06	0	0	0	0	1.00	6.175	0.420
21	खगड़िया	160	1.20	160	0.80	16	0.08	0	0	0	0	1.00	8.110	0.460
22	भागलपुर	240	1.80	240	1.20	24	0.12	0	0	0	0	1.00	9.220	0.540
23	बांका	200	1.50	200	1.00	20	0.10	0	0	0	0	1.00	7.815	0.400
24	किशनगंज	160	1.20	160	0.80	16	0.08	0	0	0	0	1.00	6.280	0.360
25	कटिहार	160	1.20	160	0.80	16	0.08	0	0	0	0	1.00	7.580	0.460
योग		**5040**	**37.80**	**5040**	**25.20**	**504**	**2.52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.00**	**208.180**	**12.240**
बीज अनुदान हेतु मिशन निदेशक को													456.000	304.00
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु मिशन निदेशक को													1.000	0.000
परियोजना प्रबंधन दल एवं अन्य आकस्मिक व्यय								1	2.40	2	2.88	1.00	6.280	0.000
बिहार राज्य बीज निगम													295.702	0.000
सर्वोत्तम जिला को पुरस्कार प्रोत्साहन													5.000	0.000
कुल योग		**10000**	**75.00**	**10000**	**50.00**	**1000**	**5.00**	**14**	**25.80**	**26**	**27.84**	**35.75**	**1175.542**	**343.50**